

परिक्षेत्रीय योजना
जोन-2

जोनल प्लान दल

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

श्री एन.आर.वर्मा

सहयुक्त नियोजक

श्री अनुप कूमार श्रीबाल्लभ

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

उपाध्यक्ष

श्री सजेन्द्र सिंह

मुख्य नारायण नियोजक

श्री जी.चो.मिंट

कार्यकारी दल:-

सांखिकीय सहायक श्री जे.पी.शर्मा एवं श्री ओर.एस.कुर्देशिया, पृष्ठा मानचित्रकार श्री उम प्रसाद, मर्चेश्वर सहायक श्री जीवेश किशोर शर्मा, श्री आरित्य नाथ भारद्वाज, श्री जयप्रकाश, श्रीमती प्रतिमा तिवारी, योग्य मानचित्रकार श्री सुबोध कुमार कुलश्रेष्ठ एवं श्री विनोद कुमार गौड़, अनह मानचित्रकार श्री जे.पी.शर्मा श्री हरिओम, अनुरेखक श्री राम कुमार नर्मा ब्लूप्रिंटर श्री एस.पी.शर्मा, अवर अभियन्ता श्री किशन लाल, श्री नवल किशोर शर्मा एवं श्री नेत्रपाल सिंह, आशुलिपिक श्री मुरेश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ लिपिक श्री गोकुल प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक श्री संजय कुमार गुप्ता एवं श्रीमती शरी पागाशर, टंकक श्री सतीश दीक्षित।

विषय सूची

विवरण	पैज नं.
1. अध्याय 1 (परिचय)	01
2. आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग सारणी	04
3. अध्याय 2 (वर्तमान भू-उपयोग अध्ययन)	06
4. जौन-6 के वर्तमान भू-उपयोग	11
5. कुल भवनों की संख्या	13
6. जौन-6 में तालाब गोखर एवं जलाशय की सूची	14
7. जौन-6 में नालों की सूची	15
8. जौन-6 में अनाधिकृत कालोनों की सूची	18
9. अध्याय-3 (प्रस्ताव)	22
10. जौन-2 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित बनाये रखे विवरण	25
11. जौन-6 के प्रस्तावित भू-उपयोग सारणी	40
12. जौन-6 का संकटरबार विवरण	43
13. अध्याय-4 (जोनिंग रेगुलेशन)	46

अनुमोदित

(दी. सी. शासा)

प्रभुदेव निवास,
आया नगर २०२१-२०२२,
उत्तर प्रदेश भारत

परिक्षेत्रीय योजना जोन-५

आगरा महायोजना-2021

१. परिचय :

आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित भारत एवं विश्व का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जोकि नाम नाम से जाना जाता है। यह नाम यमुना नदी पर स्थित है। यह नाम भग्नाल मुख्यालय होने के साथ ही परिचयों उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में से एक है।

आगरा नगर भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दक्षिण पूर्व १९८ कि.मी., कानपुर अंद्योगिक नगर से परिचय को ओर ३२० कि.मी., ग्वालियर से उत्तर को ओर १०४ कि.मी. एवं जबपुर से पूर्व को ओर लालभग २०० कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह नगर डलर में हाथरस व अलीगढ़, दक्षिण में धोलपुर व ग्वालियर, पूरब में फिरोजाबाद व मैनपुरी, पश्चिम में भरतपुर रोड उत्तर परिचय में मधुरा से जुड़ा है। आगरा नगर रेल एवं जड़कभार्ग द्वारा दिल्ली, मुम्बई, चैन्सी, जबपुर, कानपुर, मधुरा एवं कोलकाता आदि नगरों से भौतिक सम्बद्ध है।

आगरा नगर विश्व पर्यटन के हात्रे में अपना एक निशेष स्थान रखता है। विश्व प्रभास चामफल यहाँ का प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल है। शिथुरा को दृष्टि रो यहाँ ही विश्वविद्यालय छात्र प्रदेश में शिथुरा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। वर्ष 2001 को जनगणना के प्रारम्भिक अनुपान से नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा नगर समूह वा क्षेत्रफल ८६.६० वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या १२,७५,१३४ है।

१.१ आगरा महायोजना वर्ष 2021

आगरा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय विभाग, निजों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा नगर का विकास एवं निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत आगरा महायोजना के अनुरूप किया जाता है।

आगरा विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३१.०५.१९९१ में वर्ष 2001 से आगे के लिये महायोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप आगरा की वर्ष 2021 तक को अनुभागित २२.५० लाख जनसंख्या हेतु विभिन्न प्रकार को नगरीय क्रियाओं हेतु भूमि का समुनित प्राविधान करने के उद्देश्य से विभिन्न भू-उपयोगों को सुव्यवस्थित मार्गों से सम्बद्ध करते हुए नगर के भावी सुनियोजित विकास हेतु महायोजना 2021 तैयार की गई, जिस पर जनता से आपूर्त एवं सुझाव आमंत्रित कर सुनवाइ के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक १७.०७.२००३ में आगरा महायोजना (2021) का अन्तिम रूप दिया गया एवं जिसे शासनादेश गलना २३५०/१०-३०-०४-६ महा/२००३ दिनांक २०.०८.२००३ द्वारा अनुमोदित किया गया। उपरका महायोजना में आगरा नगर को २ जोन में विभक्त किया गया जैसा कि (पात्रविवर सम्बन्धी १।) में दर्शाया गया है।

1.2 अग्रगत महायोजना में जॉन-2 की स्थिति

लंकता से रामबाग तक बह रही यमुना नदी के दक्षिण का सम्पूर्ण भाग दिल्ली, आगरा रेलवे लाइन तक तथा रामबाग चौराहे से जोवन मण्डो चौराहे तक का सम्पूर्ण क्षेत्र जॉन-2 में पड़ता है जिसमें संचय प्लेस, पालीबाल पार्क, विजय नगर कलामना, दिल्ली गेट, प्रोफेसर कॉलोनी, आगरा जेल, ट्रॉसपोर्ट नगर, दयालबाग से लगा हुआ हैन कमलानगर, बल्केरखर, अकबर का मकबरा, मारियप टोम्स आदि क्षेत्र पड़ते हैं।

प्रश्नगत जॉन से प्रमुख दिल्ली-कानपुर बाईचारा (NH_2) पार्श्व गुबर्नर है तथा पुरातात्त्विक दृष्टिकोण से स्थिरपरा मकबरा व गरियम का मकबरा स्थित है जहाँ पर देश-विदेश के पर्यटक आते हैं।

(NH_2) एक प्रमुख पार्श्व होने के फलस्वरूप उस्त मार्ग पर उच्चस्तर के व्यवसायिक भवन, शौरूप, अस्पताल, औद्योगिक, इकाईयों विद्यमान हैं और ऐसे उच्च श्रेणी के भवन निरन्तर विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर जावास विकास परिषद उ.प्र. हारा एक बड़े खू-भाग पर कमता नगर के नाम से आवासोंय चौबाज विकसित की है तथा दयालबाग विनियमित क्षेत्र इस जॉन में पड़ता है जिसके समोपवर्ती क्षेत्र पर बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं।

प्रश्नगत दौत्र में जॉनल स्तर की सुविधाये उपयोगिताये एवं सेवाये व्यवस्थित झप से नहो है जिन्हे मानकों के अनुसार प्रस्तावित किया जाना होगा।

1.3 जॉनल प्लान तैयार करने के उद्देश्य

महायोजना में विकास क्षेत्र के भावी विकास की ओरो रूपरेखा ही प्रदर्शित की जाती है। प्रमुख खू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुप्रयत्न अनुपर्याप्ति क्रियाये जिन्हे महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना साधन नहीं हो पाता की अनुशंसा जॉनल रेग्युलेशन्स के आधार पर ग्रहा नी जाती है। नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जॉनिंग रेग्युलेशन्स में प्रमुख खू-उपयोग जॉन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुप्रयत्न की सम्भवता के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशोल बनाने तथा अनुशंसा को प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान लिये जाते हैं। जॉनल प्लान तैयार करने के उद्देश्य निम्न ग्रकार हैं:-

1. नारांश्या की सम्भवता और भवनों की सम्भवता के पानक विनियोग किया जाना।
2. परिक्षेत्र (जॉन) का प्रत्येक ऐसा तेज़ दरिति हो सकेगा जो प्राधिकरण को ग्राम में विकास या पुनर्विकास के लिए अप्रियत हो या घोषित किया जाय।

३. परिवारीय योजना में मूलभूत सुविधाएं उपयोगिता के लिए योग्य अवधारणा अधिकारी को सुनिश्चित रूप से प्रस्तावित कर भूमि ज्ञात करना।
४. उपरोक्त सभी या उनमें से किसी के बारे में उपलब्ध अवधिष्ठ हो सकेंगे, अर्थात्
 - (i) भवनों के परिनिर्माण के लिए किसी स्थल का इलादों से विभाजन।
 - (ii) सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थानों, स्कूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आरक्षण।
 - (iii) किसी क्षेत्र का नगरीय कालोनी में विकास तथा निर्देशन और शर्तें जिनके अधीन ऐसा विकास कार्य लिया जा सकता है अथा क्रियान्वित किया जा सकता है।
 - (iv) किसी स्थल के भवनों का संरक्षण।
 - (v) भवनों के परिनिर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के प्रयोग के बारे में निर्देशन।
५. सिकन्दर एवं मरियमटौम्ब को संरक्षित करना एवं उसके असपास के क्षेत्र पर प्रदूषण के दृष्टि से नियोजन करना।
६. क्षेत्र को उचित सम्पर्क पार्गों से सम्बद्ध करना एवं यातायात को सुगम कराया जाना।
७. मातृ उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।
८. क्षेत्र में डेवलपमेन्ट कन्ट्रोल के माध्यम से नियोजित करना।
९. दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग को रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु उचित व्यवस्था किया जाना।
१०. क्षेत्र के पोखर, जलाशय, तलाव एवं नालों को निनहित बर संरक्षित किया जाना।
११. जोनिंग रेग्युलेशन के माध्यम से विभिन्न भू-उपयोग वर्गों नियोजित किया जाना।
१२. नगर के अनाधिकृत कालोनियों को निवाहित कर शासन के दिशा-निर्देशानुसार नियोजित किया जाना।
१३. खुले स्थल, पार्क, बन क्षेत्रों को प्रस्तावित किया जाना व संरक्षित रखना।
१४. पर्यटन को बढ़ाया दिया जाना।

आगाम महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग

	भू-उपयोग	वेराफल (₹)	%
	आवासीय		
1.	निवृत्त घेत्र (उच्च घनत्व)	645.52	
2.	आवासीय (मध्य घनत्व)	4914.32	
3.	आवासीय (कम्पन घनत्व)	4363.96	
		9923.80	41.98%
	व्यावसायिक		
1.	बाजार स्ट्रीट	190.66	
2.	जिला व्यापारिक केन्द्र	261.27	
3.	धोक व्यापारिक केन्द्र	92.24	
		544.17	2.39%
	उद्योग		
1.	उद्योग (प्रदूषण रहित)	1390.99	
2.	आधोगिक विकास शेत्र (यू.पी.एस.आई.डी.सी.)	215.32	
		1606.31	6.80%
	कार्यालय	508.40	2.15%
	पर्यटन	178.18	0.75%
	सामुदायिक सुविधाएं	1763.0	7.46%
	यातायात एवं परिवहन		
1.	यातायात नगर	97.76	
2.	बस अड्डा	28.42	
3.	रेलवे	284.42	
4.	गार्फ़	1751.00	
		2161.00	9.14%
	पर्यावरण एवं खुले स्थल		
1.	सेक्टर पार्क	343.17	
2.	ऐत्रीय पार्क	124.00	
3.	जौनल पार्क	89.87	
4.	पर्यावरण पार्क	175.00	
5.	राष्ट्रीय पार्क	143.36	

भू-उत्थोग		क्रमफल (10)	%
अन्य खुल रथल			
1. हरित पटिटका	390.86		
2. पौधाशाला	30.72		
वन आच्छादित	(योग)	4901.23	20.73%
अन्य			
1. सीचेज कामे	257.28		
2. ट्रेनिंग ग्राउंड	51.20		
3. निषिद्ध क्षेत्र	1444.34		
4. अपरिभासित क्षेत्र	153.60		
5. संरक्षित क्षेत्र	116.48		
6. शपशान/छाप्रिस्तान क	31.23		
	योग	2054.13	8.69%
	महायोग	23641.22	100.00%

2. वर्तमान भू-उपयोग अध्ययन

2.1 जोन-2 की वर्तमान स्थिति

आगरा महायोजना-2021 में प्रस्तुतित नगरीय क्षेत्र को 7 जोन में विभक्त किया गया है, जिसमें जोन-2 एक प्रमुख जोन है ज्योकि पुरातत्त्वीय महत्व को दो प्रमुख स्पारक क्रमशः सिकन्दरा मकबरा व मरीम टॉव इस क्षेत्र में विद्यमान है तथा दिल्ली कानपुर राष्ट्रीयमार्ग संख्या-2 यहाँ से गुजरता है।

प्रस्तुत क्षेत्र रुक्कता से रामबाग तक बह रही यमुना नदी के दक्षिण में दिल्ली आगरा रेलवे लाइन तक संजय प्लेस एवं रामबाग चौराहे से जीवनी मण्डी चौराहे तक सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है।

प्रस्तुत जोन में द्वालबान विनियमन क्षेत्र व स्वामी बाबा टाडन ऐरिया भी पड़ता है जहाँ नगर को सबसे प्रमुख मार्ग NH-2 के क्षेत्र में होने के कालावल्य उक्त मार्ग के दोनों तरफ उच्च संतर की व्यावसायिक औद्योगिक क्रियाये निर्मित हैं एवं इनमें निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। आवास विकास परिषद द्वारा इस क्षेत्र में अपनी एक महत्वाकांक्षी आवासीय योजना कमला नगर के नाम से विकसित की है एवं नगर के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि संजय प्लेस, पालीवालपार्क, विजयनगर, कॉलोनी, गांधी नगर कॉलोनी, नेहरू नगर कॉलोनी, दिल्ली गेट, प्रोफेसर कॉलोनी, आगरा ज़िले व ट्रांसपोर्ट नगर, जज काम्पाड़न्ड, दोबानी, शुर्वनगर, शास्त्री नगर, अन्तर्राज्यीय बस अद्वा, यू.पी.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक विकास क्षेत्र व अन्य औद्योगिक इकाईयाँ विकसित हैं।

2.2 वर्ष 2021 तक भानी जनसंख्या का अनुमान

आगरा महायोजना 2021 में वर्ष 2021 तक 22.50 लाख जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में होने का अनुमान किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर जोन-2 में 5,46,318 जनसंख्या वर्ष 2021 तक समायोजित होने वा अनुमान है।

2.3 जनसंख्या वितरण एवं घनत्व

आगरा महायोजना 2021 के अनुसार जोन-2 में 1639.74 हेक्टेयर भूमि पर्याप्त आवासीय एवं 271.63 हेक्टेयर भूमि न्यून घनत्व आवासीय भू-उपयोग आविष्ट की गयी है जिसका सकल आवासीय घनत्व क्रमशः 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर पर्याप्त निर्धारित की गई है। इस प्रकार 491982 व्यक्ति पर्याप्त घनत्व के अन्तर्गत पूर्व 54336 व्यक्ति न्यून घनत्व आवासीय उपयोग के अन्तर्गत सम्पादित होने वा अनुमान है।

2.4 श्रमशक्ति

आगरा महायोजना 2021 में ग्रामीण शक्ति का अधिकारी किया गया, जिसमें नगर में प्रदूषण के रोकथाम के लिए उपयोग से युद्ध उद्योगों में लगाये गये प्रतिबंधों वे फलस्वरूप उद्योगों में जन श्रमिकों का प्रतिशत घटने को सम्भालना ल्यवत को गई तथा पर्टिट ते सम्बन्धित उद्योग में श्रमिकों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सम्बन्धित क्षेत्र में लगाया एवं नामिन जूला उद्योग एवं अन्य प्रमुख गाड़ियों के निर्माताओं के शोरूम आदि में अधिकांश श्रमिक वार्षिक हैं।

2.5 आवासीय

आगरा महायोजना 2021 में प्रश्नगत जोन में प्रस्तावित 1911.62 हेक्टेयर आवासीय भूमि के विरुद्ध वर्तमान में 1444.96 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग में लायी जा रही है, जिसमें से 123.74 हेक्टेयर भूमि ग्रामीण आबदी के रूप में विद्यमान है। आगरा महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2001 में परिवार का औसत आकर्ष 6.0 तथा कुल परिवार के विरुद्ध 95 प्रतिशत आवासीय इकाई का उपलब्ध होने भावे हुए वर्ष 2001 तथा कुल परिवार एवं कुल उपलब्ध आवासीय इकाई क्रमशः 20997 तथा 199497 को होने का अनुमान किया गया है। उक्त के आगार पर वर्ष 2021 तक प्रदोषित जनसंख्या के अनुसार अनुमानित परिवार की संख्या (5 व्यक्ति प्रति परिवार) एवं आवासीय इकाईयों को आवश्यकता 4,50,000 एवं 2,56, 4888 अनुमानित की गई है।

उपरोक्त के अनुसार जोन-2 में वर्ष 2021 तक 109264 परिवार समायोजित होने का अनुमान है इस क्षेत्र में आवास विकास परिषद की कमलानगर आवासीय योजना विकसित है एवं स्थानीय स्तर के कॉलोनाइजर्स भी इस क्षेत्र में तेजगति से विकास कार्य कर रहे हैं प्रश्नगत जोन में अधिकांश आवासीय क्षेत्र विकसित हो चुके हैं जो कि वर्तमान भू-उपयोग से रूपान्वय होता है।

2.6 व्यावसायिक

आगरा महायोजना 2021 में प्रश्नगत जोन में 66.4 हेक्टेयर भूमि बाजार रस्टोर व 40.04 हेक्टेयर भूमि जिला व्यापारिक केन्द्र एवं 25.32 हेक्टेयर भूमि घोक व्यापारिक केन्द्र, कुल 130.76 हेक्टेयर भूमि व्यावसायिक भू-उपयोग हेतु आरक्षित की गयी है। इसके विरुद्ध मौके पर 2.41 भूमि पर फूटकर बरवसाय 33.22 हेक्टेयर भूमि शोरूम/कॉम्प्लेक्स, 2.91 हेक्टेयर भूमि होटल/रेस्टोरेंट, 3.44 हेक्टेयर भूमि छविगृह/मल्टीप्लेक्स, 2.56 हेक्टेयर भूमि पेट्रोल पम्प, 4.72 हेक्टेयर भूमि शोरूम, 14.83 हेक्टेयर भूमि गोदाम, तथा 9.76 हेक्टेयर घोक व्यवसाय घण्डों के रूप में विकसित हैं। कुल 73.85 हेक्टेयर भूमि व्यवसायिक उपयोग के रूप में विद्यमान हैं।

इस क्षेत्र में जगा के प्रमुख जिला व्यापारिक केन्द्र नाम से जगा नाम से विद्यमान है जगा नाम से व्यवसायिक जिला के अतिरिक्त नाम के प्रमुख शासकोप्त/अद्वायकोप्त एवं प्रार्द्धक

कार्यालय विद्यमान है। उपरोक्त के अतिरिक्त ४१.२ मार्ग पर कई प्रमुख व्यवसायिक रिटेल आउटलेट व काप्पलेक्स विकसित हो चुके हैं। कई माल निर्गमनधोन हैं तथा यहां पर कई छोटे स्तर के होटलों के अतिरिक्त एक प्रमुख होटल, "होलो डे इन" के नाम से विद्यमान है।

2.7 उद्योग

आगरा महायोजना 2021 के अन्तर्गत प्रश्नमात्र जोन में यू.पी.एस.आई.डी.सो. हाई 29.68 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा ५९६.२४ हेक्टेयर गृण प्रदूषण रहित उद्योगों हेतु आरक्षित कोड गयो हैं। इस प्रकार जोन में ५२५.९२ हेक्टेयर भूमि उद्योगों हेतु आरक्षित हैं। जिसके विरुद्ध वर्तमान में १५७.१७ हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत हैं।

पर्यावरण वै इक्टियोग से ताजमहल को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदूषणकारी उद्योगों को आगरा नगर से स्थापित करने पर प्रतिवन्ध लगा हुआ है जिस कारण यात्रा प्रदूषण रहित उद्योग ही इस क्षेत्र में विकसित हो सकेंगे।

2.8 कार्यालय

आगरा महायोजना 2021 में प्रश्नमात्र जोन में ४१.४८ हेक्टेयर भूमि कार्यालय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी जिसमें आगरा जेल, एवं आरटीओ. आफिस से सम्बन्धित क्षेत्र प्रमुख है। वर्तमान में ३५.६७ हेक्टेयर भूमि कार्यालय उपयोग में लायी जा रही है।

2.9 सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें

आगरा महायोजना 2021 के अन्तर्गत २६४.२० हेक्टेयर भूमि सामुदायिक सुविधायें एवं उपयोगितायें हेतु प्रस्तावित की गयी हैं जिसके सापेक्ष ४.४८ हेक्टेयर भूमि पर चिकित्सालय, ४०.८० हेक्टेयर भूमि पर तकनीक/विशिष्ट संस्थायें, १०.२४ हेक्टेयर भूमि पर मडाविद्यालय, २९.७५ हेक्टेयर भूमि पर इष्टर कॉलेज, ४.०६ हेक्टेयर भूमि हाईस्कूल, ९.१० हेक्टेयर भूमि जूनियर हाईस्कूल, ४.३७ हेक्टेयर भूमि पर प्राइमरी स्कूल ०१.१३ हेक्टेयर भूमि पर पशु चिकित्सालय, ३.०६ हेक्टेयर भूमि पर आश्रम/धार्मिक/सत्संग भवन, ०.७४ हेक्टेयर भूमि पर पुलिस स्टेशन/चौकी, २६.५३ हेक्टेयर भूमि वाटर वर्क्स/पम्प हाउस, १.५७ हेक्टेयर भूमि पर सौंबंज ट्रॉटमेन्ट ब्लान्ट, १.९२ हेक्टेयर भूमि पर मन्दिर, ०.५६ हेक्टेयर भूमि पर मस्जिद, १४.३२ हेक्टेयर पर गुरुद्वारा, १.६ हेक्टेयर भूमि पर चर्च/गिरजाघर, ८.९३ हेक्टेयर भूमि पर ब्राह्मण/धर्म वेकट हांल, २.७९ हेक्टेयर भूमि पर नसिंग हेप एवं अस्पताल, १.३६ हेक्टेयर भूमि पर गोस्ट हाउस, २८.०९ हेक्टेयर भूमि पर चिकित्सालय, ५.७६ हेक्टेयर भूमि पर हॉस्पिट, ०.३२ हेक्टेयर भूमि पर लाइब्रेरी, ०.९० हेक्टेयर भूमि पर टलोफान एक्सचेंज, ०.५८ हेक्टेयर भूमि पर हेल्थ क्लिन/स्टोमिंग पुल के रूप में विवरित है इस प्रकार कुल २०९.९४ हेक्टेयर भूमि सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं के विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत विकसित हैं।

2.12 अन्य

प्रश्नगत क्षेत्र में 4.52 हेक्टेयर भूमि पर जलाशय, 1.24 हेक्टेयर भूमि पर नहर/नाला, 7.15 हेक्टेयर भूमि पर कब्रिस्तान/शमशान स्थल 0.64 हेक्टेयर भूमि पर पौधशाल/नसरी 22.88 हेक्टेयर भूमि पर बाग/प्लान्टेशन एवं 53.76 हेक्टेयर भूमि संरक्षित स्थल के रूप में विद्युपान है। उपरोक्त के अतिरिक्त लगभग 2573.76 हेक्टेयर भूमि बन क्षेत्र के रूप में है।

यहाँ वह भी उल्लेखनोय है कि 43.46 हेक्टेयर भूमि पर फार्महाउस विकसित है जिनमें से अधिकांश भू-उपयोग के विरुद्ध है।

जोन-2 वर्तमान भू-उपयोग

1.	आवासीय	
1.1	ग्रामीण आवासीय	128.74
1.2	आवासीय	1316.22
2.	ब्यावसायिक	
2.1	फुटकर ब्यावसायिक	2.41
2.2	शोरूप/कार्पलेक्स	33.22
2.3	होटल/रेस्टोरेंट	2.91
2.4	छविगृह/मल्टीएलेवेशन	3.44
2.5	पेट्रोलियम	2.56
2.6	गोदाम	14.83
2.7	मण्डो	9.76
2.8	प्रेस	1.36
3.	कार्बलिय	34.67
4.	उद्योग	
4.1	द्वारा	157.17
4.2	शोहरगृह	4.72
5.	सामुदायिक सुविधाएं/उपयोगितायें एवं सेवायें	
5.1	विश्वविद्यालय	40.48
5.2	तकनोकी/विशिष्ट संस्थायें	4.80
5.3	महाविद्यालय	10.24
5.4	इष्टर कालेज	29.75
5.5	हाईस्कूल	14.06
5.6	बूनियर हाईस्कूल	9.10
5.7	प्राइमरी/प्लेटफूर	4.37
5.8	पशु चिकित्सालय	0.13
5.9	आश्रम/धर्मशाला/सत्संग भवन	3.06
5.10	पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी	0.74
5.11	वटर वक़्र/पम हाउस	26.53
5.12	सोबेज ट्रीटमेंट प्लॉट	1.57
5.13	मन्दिर	1.92
5.14	मस्जिद	0.56
5.15	ग्राम्यग्राम	14.32

	5.16	चर्च	1.08
	5.17	चारात्मक/बैकट होने	8.93
	5.18	नसिंग होम/अस्पताल	9.79
	5.19	गैस्ट इउस	1.36
	5.20	विजलीचर	28.99
	5.21	हॉस्टल	5.76
	5.22	ताइब्रेटी	0.32
	5.23	टेलीफोन एक्सचेज	0.90
	5.34	हैल्थ क्लब/स्वीमिंग पुल	0.58
6.	पार्क एवं ब्रोडा स्थल		
6.1	वाटर पार्क	5.92	
6.2	पार्क	44.23	
7.	यातायात एवं परिवहन		
7.1	वर्तमान मार्ग	374.76	
7.2	रेन्डर नाइन	46.68	
7.3	रेलवे सम्पत्ति	2.16	
7.4	यातायात नगर/वर्कशाप	23.36	
7.5	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा	5.6	
8.	अन्य		
8.1	जलाशय	4.53	
8.2	नहर/नाला	1.24	
8.3	कब्रिस्तान/शमशन स्थल	7.15	
8.4	चन थोक	2573.76	
8.5	वैधशाला/नसीरी	0.64	
8.6	बाग/स्लान्टेशन	22.88	
8.7	फार्म हाउस	43.76	
8.8	ऐतिहासिक स्थल/स्माकर	53.76	
	गोग	5132.38	

जोन-2 कुल भवनों की संख्या

1.	प्राइमरी पाठशाला	122
2.	जूनियर हाईस्कूल	132
3.	हाईस्कूल	21
4.	इण्टर कॉलेज	45
5.	डिग्री कॉलेज	11
6.	तकनीकी	10
7.	अस्पताल	8
8.	नर्सिंग होम	72
9.	होटल	17
10.	रेस्टोरेन्ट	15
11.	गेस्ट हाउस	7
12.	मैरिज हाम	25
13.	इम्पोरियम	6
14.	पुलिस चौको/धाना	15
15.	शार्पिंग काम्पलेक्स	85
16.	पेट्रोल पम्पों	22
17.	मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च	387
18.	आश्रम/धर्मशाला	27
19.	फैक्ट्री	350
20.	फार्म हाउस	71
21.	शमशान/कब्रिस्तान	22
22.	कॉल्ड स्टोरेज	4
23.	विजलीघर	7
24.	सिनेमा	11

जौन-2 में तालाब, पोखर एवं जलाशय वाली सूची

क्रमसंख्या	स्थिति	घसरा संख्या	क्षेत्रफल (लगभग)
1.	ग्राम सिकन्दरा	492	4608 वर्गमीटर
2.	ग्राम सिकन्दरा	367	1843 वर्गमीटर
3.	ग्राम सिकन्दरा	381	345 वर्गमीटर
4.	ग्राम सिकन्दरा	468/1	115 वर्गमीटर
5.	ग्राम सिकन्दरा	476	576 वर्गमीटर
6.	ग्राम सिकन्दरा	477	806 वर्गमीटर
7.	ग्राम सिकन्दरा	538	2304 वर्गमीटर
8.	ग्राम गैलाना	82	403 वर्गमीटर
9.	ग्राम ककरेठा	208	1152 वर्गमीटर
10.	ग्राम ककरेठा	517	576 वर्गमीटर
11.	ग्राम ककरेठा	631	115 वर्गमीटर
12.	ग्राम लश्करगुर	589, 590	5000 वर्गमीटर
13.	ग्राम सिकन्दरा बहिशताब्दी	1190	2000 वर्गमीटर
14.	ग्राम अरतीनी	867	2000 वर्गमीटर
15.	ग्राम चाईपुर	872	1500 वर्गमीटर
16.	ग्राम रुनकती	आवासी	300 वर्गमीटर
17.	कोठप झील	झील	20 हेक्टेएर
18.	पार्लावाल पार्क	बोट बंतव	1 हेक्टेएर

जोन-2 में नालों की सूची

क्र०सं०	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
1.	सुल्तानगंज बाजार से बाईपास नगलाधनी	500 मी०	2-3 फौट	3 फौट
2.	नाला मूकबिहर, विजय नगर कालोनो	500 मी०	1.25 से 3 फौट	2-4 फौट
3.	नाला गैंत्रप नगर	225 मी०	1.25 फौट	2.25 फौट
4.	शाही कैनाल, नगला धनी से लगड़े को चौको तक	450 मी०	6 फौट	4 फौट
5.	नाला पस्ता की बगीची	550 मी०	1.25 फौट	2.25 फौट
6.	पालीवाल पार्क से नगला शोला-भोला तक	350 मी०	2-4 फौट	2-4 फौट
7.	पालीवाल पार्क से नगला सुल्तानगंज तक	400 मी०	2 फौट	2.25 फौट
8.	गुलद्वारा बलकेश्वर से आदर्श नगर	800 मी०	1 मीटर	1 मीटर
9.	कमला नगर से पी०एन०बी० तक	1000 मी०	1 मीटर	3 फौट
10.	नाला बौर नगर, कबीर नगर	1000 मी०	1 मीटर	1 मीटर
11.	कौशलपुर नाला	500 मी०	1 मीटर	1 मीटर
12.	झी-ब्लाक न्यु अग्रा	200 मी०	2 फौट	3 फौट
13.	लश्करपुर वाल्मीकी बस्ती	200 मी०	2 फौट	2 फौट
14.	कमला नगर मार्ग से विकल जी	100 मी०	2.5 फौट	2 फौट
15.	नाला इन्द्रपुरी	400 मी०	2 फौट	3 फौट
16.	जी-ब्लाक से थाटर वर्क्स चौराहा तक	200 मी०	4 फौट	4 फौट
17.	सेन्ट्रल बैंक नगला नगर	300 मी०	2.5 फौट	3 फौट
18.	मुख्य बाजार, लंगड़े को चौकी	100 मी०	2 फौट	2 फौट
19.	नाला विद्या नगर	1000 मी०	2.5 फौट	4 फौट
20.	नगला लिद्दा नाला	50 मी०	2 फौट	2 फौट
21.	मुगला रोड नाला	600 मी०	6 फौट	4 फौट
22.	जी-ब्लाक से रेट बैंक	200 मी०	2.5 फौट	3 फौट
23.	कमला नगर पर्याल पार्ष में पानी की नाली	400 मी०	2.5 फौट	3 फौट

25.	मुगल राह से लरका। पुर	50 मी०	2.5 फौट	4 फौट
26.	बाला जो नगर, पंजाबी याग	200 मी०	2 फौट	3 फौट
27.	नाला गोगोहीरी याग	500 मी०	3 फौट	3 फौट
28.	नाला दुर्गानगर, नगला पर्दी	500 मी०	2.5 फौट	3 फौट
29.	नाला शाही कैनल	600 मी०	4 फौट	4 फौट
30.	बजोरपुर ढलान से यानीचाले थार्क छोका पालीचाल थार्क तक	1000 मी०	3 मी०	3.5 मी०
31.	नेला तातधाली गली से	2000 मी०	2 मी०	2-4 मी०
32.	नेहरू नगर कालोनी से बाईपास तक	2000 मी०	2.5 मी०	3 मी०
33.	मामा जो कोठी से गोधी नगर कोकाकोला एजेन्सी तक	350 मी०	2 मी०	3 मी०
34.	नाला चूर्च नाम	500 मी०	3 मी०	4-5 मी०
35.	एमोआईजी० क्वाटर से बाईपास तक	250 मी०	2 मी०	2-3 मी०
36.	केनरा बैंक टीवानी से सूर्ख सदन तक	700 मी०	2 मी०	4-5 मी०
37.	पास्टर प्लान रोड-भण्डारी क्वाटर से आरुजी०एस० कालेज तक	350 मी०	2-3 मी०	3-10 मी०
38.	आरुजी०एस० कालेज से डा० नागरथ तक	300 मी०	2-3 मी०	3 मी०
39.	डा० नागरथ से एमोजी० रोड तक	250 मी०	-	-
40.	नाला बापू नगर	500 मी०	2 मी०	3 मी०
41.	शास्त्री नगर भे बापू नगर तक	1000 मी०	2 मी०	2-3 मी०
42.	डा० नागरथ में श्रीराम हास्पिटल तक	700 मी०	2.5 मी०	3.5 मी०
43.	श्री राम हास्पिटल से हरिपर्वत क्रासिंग तक	600 मी०	-	-
44.	खन्दारी क्वाटर से जेल चरी तरफ	200 मी०	2-3 मी०	3-5 मी०
45.	जेल रोड क्रासिंग से टांसपोर्ट नगर तक	700 मी०	2-3 मी०	3-5 मी०
46.	नाला काले चरी ताल	300 मी०	2 मी०	3-5 मी०
47.	कर्मयाणो नाला	600 मी०	-	-
48.	ब्रह्मपुर नगर नाला	400 मी०	-	-

48.	गान्धीजी चाला	1159 मी०
49.	बलकेश्वर चोला	436 मी०
50.	दयालचाण पन देन	1170 मी०
51.	जसवंश नगर देन	600 मी०
52.	नगला चूढ़ी देन	900 मी०
53.	विद्यानगर देन	1000 मी०
54.	चौर नगर देन	1200 मी०
55.	बापू नगर देन	600 मी०
56.	बाईपुर बाजार देन	670 मी०
57.	बाटखकर्ज देन	3900 मी०
58.	सिकन्दरा से गुरु का ताल	2100 मी०
59.	अशोक हास्पिटल	900 मी०
60.	नगला बघेल	800 मी०

जोन-2 में अनाधिकृत कालोनी की सूची

क्रमसंख्या	कालोनी का नाम	भूउपयोग (महायोजना 2021)
1.	गोपाल कुंज नगला पटी बाईगाम	आवासीय
2.	चंद्र भगर नगला पटी बाईपास	आवासीय
3.	दयानंद बाग निकट टैगोर नगर	आवासीय
4.	निराला नगर निकूट टैगोर नगर	आवासीय
5.	मैत्री बाग, दयाल बाग	आवासीय
6.	जयपाल बाग-दयाल बाग	आवासीय
7.	गायत्री विहार-दयाल बाग	आवासीय
8.	तक्षशिला शीतला रोड़	आवासीय
9.	शीत विहार, शीतला रोड़	आवासीय
10.	मायपुरी, मठ रोड़	आवासीय
11.	आईएस नगर, शीतला रोड़	आवासीय
12.	अनन्द पुरम्, शीतला रोड़	आवासीय
13.	कृष्ण पुरम्, निकट देव नगर	आवासीय
14.	गहुत नगर, एऊ रोड़	आवासीय
15.	नसीरबाद, मठ रोड़	आवासीय
16.	कालिन्दी पुरम्, मठ रोड़	आवासीय
17.	सूर्य लोक कालोनी मठ रोड़	आवासीय
18.	वृज विहार, शीतला रोड़	आवासीय
19.	राजीव नगर, शीतला रोड़	आवासीय
20.	कृष्ण बाग, निकट हीराबाबू कालोनी	आवासीय
21.	गणेश विहार, निकट लायस कालोनी	आवासीय
22.	गिरिराज नगर, निकट लायस कालोनी	आवासीय
23.	श्रेत्रि नगर, निकट लायस कालोनी	आवासीय
24.	अपर विहार, निकट बै०को० नगर	आवासीय
25.	कबीर इन्क्लोज, दयाल बाग	आवासीय
26.	श्याम जी विहार, निकट सरला बाग एवं टेशन	आवासीय
27.	कन्हैया कालोनी, निकट टैगोर नगर	आवासीय
28.	माता जी नगर, निकट टैगोर नगर	आवासीय
29.	रणधीर नगर, निकट टैगोर नगर	आवासीय
30.	मिट्टोकेट बैंक चालोनी, गेलाना रोड़	आवासीय

31.	बारीजी सूख भान, बाईपास रोड	आवासीय
32.	रघुबोर कुंज, निकट दोबानी	आवासीय
33.	भाष्य नगर, बाईपास रोड	संकर पार्क
34.	न्यू सरस्वती नगर, बलकेश्वर रोड	आवासीय
35.	न्यू लालधुरी कालोनी, निकट कौशल पुर	आवासीय
36.	राधा नगर, निकट गढ़शाला	आवासीय
37.	मैन का लोस, निकट यमनोनी बहार	आवासीय
38.	गणेश विहार, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव	आवासीय
39.	चारूल सहकारी आवास समिति निकट यमनोनी विहार	आवासीय
40.	शिवपुरी, निकट अशांपा हास्पिटल	आवासीय
41.	कृष्ण बनलोनी, कैलाश रोड	आवासीय
42.	हरिहर विहार, कैलाश रोड	आवासीय
43.	यमुना विहार, कैलाश रोड	आवासीय
44.	सरोज विहार, कैलाश रोड	आवासीय
45.	शिव कुंज कैलाश रोड	आवासीय
46.	नई आवादी सिकन्दरा	आवासीय
47.	यशस्वी इन्क्लेव, कैलाश रोड	आवासीय
48.	वैष्णव धाम, दयगढ़ बाग	आवासीय
49.	मणि इन्क्लेव, निकट गणेशीय कालोनी	आवासीय
50.	आदर्श नगर निकट कमला नगर	आवासीय
51.	न्यू आदर्श नगर, निकट कमला नगर	आवासीय
52.	शुभम इन्क्लेव, बलकेश्वर रोड	आवासीय
53.	यमनोनी विहार, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव	आवासीय
54.	मीनाक्षी पुरम्, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव	आवासीय
55.	उत्तमपुरी निकट गुम्फा	आवासीय
56.	उमा कुंज, बलबैश्वर रोड	आवासीय
57.	शुभम विहार, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव फेस-3	आवासीय
58.	यमुना विहार, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव	आवासीय
59.	अवधेशपुरी, निकट कर्मयोगी इन्क्लेव	आवासीय
60.	सुपाप नागर, निकट शालोगार इन्क्लेव	आवासीय
61.	राधा विहार, निकट रान्या निहा एन्सेटेशन	आवासीय
62.	बन्देशपुरी, निकट शांति नगर	आवासीय
63.	बोठड़ी पुराणे, निकट राजनी नगर	आवासीय

64.	राधा कुन्ज, निकट मध्य विहार	आवासीय
65.	अमलका कुन्ज, निकट शान्ति नगर	आवासीय
66.	गोपाल कुन्ज, निकट शान्ति नगर	आवासीय
67.	यशोदा इन्हलेव निकट कावेरी	आवासीय
68.	प्रेमानन्द कुन्ज, निकट बृज विहार	आवासीय
69.	गोविन्द पुरी, निकट बृज विहार	आवासीय
70.	शुभम इन्हलेव, निकट लद्दाख भुख	आवासीय
71.	नटराजपुरम् एकराषेश्वर	आवासीय
72.	कैलाश इन्हलेव, शालीमार के पीछे	आवासीय
73.	बालाजी पुरम् कावेरी एकसंदेशन के पीछे	आवासीय
74.	रश्मि नगर कावेरी फेस-1 के सामने	आवासीय
75.	त्रिवेणी नगर, निकट शान्ति नगर	आवासीय
76.	राम्भू कुन्ज एकसंदेशन निकट कावेरी कुन्ज	आवासीय
77.	भगवान नगर, बलकेश्वर टेक्का कालोनी के पीछे	आवासीय
78.	तैज नगर, कमला नगर के पाड़े	आवासीय
79.	किशन नगर/कैलाश नगर बलकेश्वर रोड़	आवासीय
80.	लोहिया नगर, आईटीआई बोर्ड के पीछे	आवासीय
81.	कपिल नगर बलकेश्वर रोड़	आवासीय
82.	तुलसी बाग फेस-1, दयाल बाग	आवासीय
83.	तुलसी बाग फेस-2, दयाल बाग	आवासीय
84.	कबीर नगर, दयाल बाग	आवासीय
85.	रोशन बाग, दयाल बाग	आवासीय
86.	पंजाबी बाग, दयाल बाग	आवासीय
87.	दया नद नगर, दयाल बाग	आवासीय
88.	पुरुषोत्तम नगर, दयाल बाग	आवासीय
89.	तियाला नगर, दयाल बाग	आवासीय
90.	सुभा बाग, दयाल बाग	आवासीय
91.	सपन बाग, दयाल बाग	आवासीय
92.	अग्रहन नगर, दयाल बाग	आवासीय
93.	सुनदा आश्रम, दयाल बाग	आवासीय
94.	बीर नगर, दयाल बाग	आवासीय
95.	निवासी नगर, दयाल बाग	आवासीय
96.	पुष्पती बाग, दयाल बाग	आवासीय

97.	संत नगर, दयाल बाग	आवासीय
98.	गोपा इन्कलेब, दयाल बाग	आवासीय
99.	बसैर इन्कलेब, दयाल बाग	आवासीय
100.	सौरभ निकुञ्ज, दयाल बाग	आवासीय
101.	आरो क० पुरष, दयाल बाग	आवासीय
102.	एडो बॉर्ड नगर, दयाल बाग	आवासीय
103.	मुद्रण बाग, दयाल बाग	आवासीय
104.	वैशाली इन्कलेब० दयाल बाग	आवासीय
105.	अमर बाग, दयाल बाग	आवासीय
106.	मोक्ष बाग, दयाल बाग	आवासीय
107.	स्वर्ण इन्कलेब, निकट दीवानी	आवासीय
108.	वैक हाउस कलांनी, निकट दीवानी	आवासीय
109.	आजाद नगर, निकट ट्रान्सफोर्म नगर	आवासीय
110.	हास्त्री नगर, निकट ट्रान्सफोर्म नगर	आवासीय
111.	ईओनियर कालांनी, बाईपास यांग, नगलापारी	आवासीय
112.	फार्म हाउस, आगरा पब्लिक स्कूल के सामने	सामुदायिक सुविधा एवं बन
113.	फार्म हाउस, निकट रुचकता रेलवे स्टेशन	उद्योग
114.	फार्म हाउस, अरतीनी यांव के सामने, एन०एच०२	उद्योग

3. प्रस्ताव

3.1 अवासीय

आगरा महायोजना 2021 के उम्मान के अनुसार प्रश्नगत जोन में 1639.94 हेक्टेयर भूमि मध्य घनत्व आवासीय एवं 271.68 भूमि न्यून घनत्व आवासीय उपयोग ढेतु सुरक्षित को नहीं है तथा यह भी प्रतिबंध रखा गया है कि आगरा महायोजना 2001 के भू-उपयोग के विरुद्ध किये गये विकास कार्य/निर्माण कार्य को गुणदायक के अधार पर महायोजना 2021 के प्रस्तावों में इस रार्न के साथ समायोजित किये गये हैं कि ऐसे सभी नियमित कालोनियन्यूविकास कार्य/ निर्माणों को नियमित करने से पूर्व ऐसे कालोनाइज़ेसन/भवन भालिकों के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना जाना होगा औ कि सामान्य रूप से निम्न उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन करने के लिए शासन द्वारा नियमित किये गये नियमों के अनुहार देव देता है।

प्रश्नगत क्षेत्र का जोनल ज्ञान तैयार करने के उद्देश्य से किये गये सर्वेक्षण कार्य के दौरान पाया गया कि आगरा महायोजना 2021 के प्रस्तावों के विरुद्ध भी कुछ स्थानों पर निर्माण हो गये हैं। इन्हें भी जहां तक नियम हो सकता है उपरोक्त वर्णित प्रतिबंधों के साथ समायोजित करने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्त निकास कार्य/निर्माण का अभिप्राय हरित परिका भू-उपयोग क्षेत्र में हुए अनाधिकृत निर्माणों के अपवाह स्वरूप छोड़ते हुए भू-उपयोग के विरुद्ध किये गये नियम से हैं क्योंकि रियाचिला संख्या 14497/1993 मधुबन नगर सहकारी वावास समिति आगरा व अन्य बनाम आगरा विकास प्राधिकरण आगरा व अन्य के दिनांक 17.07.03 का माननाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निणग से आदानप्रदान हरित परिका क्षेत्र में हुए अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है।

उपरोक्त जोन के आवासीय आवश्यकताओं का अनुमान पूर्व में किया गया है जिनके अनुसार वर्ष 2021 तक 5 ल्यकित प्रति परिवार के आंसू से, 109264 परिवार का समायोजन प्रश्नगत जोन में अनुपनित है।

प्रश्नगत जोन एक विकसित जोन है, जहां पर अधिकारा सामुदायिक सुविधाये सेवाये तथा उपयोगिताये जैसे कियावे व्यवस्थित रूप से विद्यमान हैं फिर भी आवश्यक जोनल रोड, जोनल व्यापारिक केन्द्र व अक्षण्यप सामुदायिक सेवाये सुविधाये व उपयोगिताये प्रस्तावित करने के परचात अध्य घनत्व आवासीय उपयोग को नेट डेनसिटी 45% व्यान्त प्रति हेक्टेयरा तथा न्यून घनत्व आवासी। जो नेट डेनसिटी 250 व्यान्त प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित है।

प्रश्नगत जोन में प्राधिकरण द्वारा कुछ भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उस्ताव शासन को सन्दर्भित किये गये हैं जिन्हें जोन प्लान में इस शर्त के साथ सम्मिलित किये गये हैं कि यदि प्राधिकरण द्वारा शासन को सन्दर्भित ऐसे भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरण से शासन सहमत नहीं हैं तो सम्बन्धित प्रस्ताव निरसा समझा जायेगा व महायोजना 2021 के मूल प्रस्ताव पात्र होगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त जोन-6 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत 125 एकड़ भूमि पर अन्वर्धीय स्तर का स्टेडियम प्रस्तावित किये जाने का शासन द्वारा लिये गये निर्णय के काय में उक्त जोन में महायोजना गे प्राप्तावित आवासीय क्षेत्र में हुई बढ़ती के कुछ भाग का समायोजन जोन-2 में अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा शासन को अप्रस्तावित/सन्दर्भित निम्न प्रकरणों को जोनल प्लान में नियोजन की दृष्टि से विचित अकार देते हुए समायोजित किये गये हैं:-

1. मौजा अकबरगढ़ व रुनकता तहसील किरावली जिला आगरा के औद्योगिक क्षेत्रीय पार्क और मनोरनन पार्क से आवासीय उपयोग में किये जाने सम्बन्धी शासन को सम्बोधित उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्र संख्या 25/टी/सीएपी/006 दिनांक 22.05.06 से सम्बोधित उद्योग, मनोरनन पार्क एवं क्षेत्रीय पार्क की भूमि को आवासीय प्रस्तावित किया गया है तथा इस प्रकार मनोरनन एवं क्षेत्रीय पार्क भूमि में हुयों कभी को अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित किया गया है जिससे कि खुले क्षेत्र में वास्तविक कमां न हो सके।

2. भूखण्ड संख्या 18, सेक्टर प्रथम, आफिसर्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बाईपास रोड कामायनी हास्पेटल के सामने के आवासीय उपयोग को व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्धी प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासन को सम्बोधित उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकारण के पत्र सं. 27/टी/सीएपी/006 दिनांक 08.02.06 के अनुक्रम में सम्बोधित भूमि को व्यवसायिक के रूप में प्रस्तावित किया गया है

3. 57.52 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस देतु सुरक्षित की गयी है जो कि न्यूलम 5000 कर्गमी० भूमि पर अधिकत ५ अतिशात भू-आच्छादन के साथ भवन निर्माण उपरिविधि 2000 के प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य है। सकेंगे। प्रमुख उपयोग के आधार पर प्ररकात जोन को २ सेक्टर में पुनः विभाजित किया गया है जिसे की मानविक्र में दर्शाया गया है।

3.2 व्यवसायिक

जैसे कि पूर्व में उल्लिखित है कि प्रश्नगत जोन में 2.41 हेक्टेयर भूमि पर कटकर व्यवसाय, 33.22 हेक्टेयर भूमि गोदाम/काम्लेक्स 2.91 हेक्टेयर भूमि होटल/रेस्टोरेंट, 3.44 हेक्टेयर भूमि छविगृह/मल्टीप्लक्स, 2.56 भूमि पेट्रोल पम्प, 4.72 हेक्टेयर भूमि शोरगृह 14.83 हेक्टेयर भूमि गोदाम तथा १.७६ हेक्टेयर भूमि घंटे व्यवसाय पार्कों के रूप में विभाजित हैं।

उपरोक्त दिया हुआ अधिकारातः प्रमुख मार्ग पा स्थित है। शासन द्वारा नियमित किये गये मानकों नगा भवन निर्माण/ निकास उपचारि 2000 में दिये गये मानकों के अनुसार प्रत्येक 4000 वर्षित पर एक सुविधाजनक दुकाने एवं प्रत्येक 200 व्यक्ति पर एक सेक्टर शासीण का प्रस्ताव दिये जाने का प्राविधिक हो जिनका न्यूनतम लेवल कुल योजना के लेवल का अधिकतम 5 प्रतिशत कार्यालय उपयोग सहित है।

आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित जोन के अन्तर्गत 66.40 हेक्टेयर भूमि बाजार स्ट्रीट 40.04 हेक्टेयर भूमि जिला व्यापारिक केन्द्र 24.32 हेक्टेयर भूमि थेक व्यापारिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त जोनल आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 8.0 हेक्टेयर भूमि सुविधाजनक शासीण सेक्टर एवं 71.04 हेक्टेयर भूमि सेक्टर व्यापारिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित किये गये हैं तथा वर्तमान में विद्यमान गोदाम, छविगृह, प्रेस, पेट्रोल पम्प की भूमि को चिह्नित कर आरक्षित किया गया है।

3.3 उद्योग

बैसे कि पूर्व में डिल्लीखित किया गया है कि आगरा महायोजना 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित जोन में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा 29.68 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास केंद्र हेतु आरक्षित है तथा 496.24 हेक्टेयर भूमि प्रदूषण रहित उद्योग हेतु आरक्षित की गई है। इस प्रकार इस जोन में 525.92 हेक्टेयर भूमि उद्योग हेतु आरक्षित है। जिसके विरुद्ध वर्तमान में 157.17 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उकाईयां कार्यरत हैं।

यौके पर महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक भूमि जो अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शोरूम, गोदाम, शोरगृह आदि विद्यमान हैं। महायोजना में प्रस्तावित जोनिंग रेग्युलेशन के अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत पुटकाने शोरूम, सापाहिक बाजार, शोरगृह, शोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेंट, छविगृह/प्रतीक्षेपनस्थ, गोदाम, भण्डारण जैसे व्यावसायिक क्रियाये तथा थेक कार्यालय आदि भी अनुमत्य हैं। अतः नहायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत जोनिंग रेग्युलेशन पे अनुमत्य क्रियाओं के अनुसार भूमि सुरक्षित करते हुए शुद्ध औद्योगिक क्रियाये हेतु 377.52 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक भूमि को 45 न्लाकों में विभिन्न मार्गों द्वारा विभाजित किया गया है जिसका विवरण सूची में प्रस्तुत है।

जोन-2 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित ब्लाकों
का विवरण एवं उनके क्षेत्रफल

क्र.सं.	औद्योगिक ब्लाक संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्र.सं.	औद्योगिक ब्लाक संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	1	2	3
1	ब्लाक-1	12.55	24	ब्लाक-24	2.00
2	ब्लाक-2	3.76	25	ब्लाक-25	5.44
3	ब्लाक-3	2.10	26	ब्लाक-26	14.66
4	ब्लाक-4	9.42	27	ब्लाक-27	6.70
5	ब्लाक-5	10.57	28	ब्लाक-28	10.05
6	ब्लाक-6	3.35	29	ब्लाक-29	3.35
7	ब्लाक-7	13.77	30	ब्लाक-30	5.86
8	ब्लाक-8	11.72	31	ब्लाक-31	3.35
9	ब्लाक-9	7.61	32	ब्लाक-32	4.35
10	ब्लाक-10	10.55	33	ब्लाक-33	9.04
11	ब्लाक-11	6.70	34	ब्लाक-34	5.06
12	ब्लाक-12	5.90	35	ब्लाक-35	2.67
13	ब्लाक-13	9.04	36	ब्लाक-36	6.78
14	ब्लाक-14	2.63	37	ब्लाक-37	3.77
15	ब्लाक-15	5.06	38	ब्लाक-38	10.33
16	ब्लाक-16	7.83	39	ब्लाक-39	2.72
17	ब्लाक-17	13.52	40	ब्लाक-40	4.14
18	ब्लाक-18	11.30	41	ब्लाक-41	4.02
19	ब्लाक-19	3.68	42	ब्लाक-42	11.30
20	ब्लाक-20	5.02	43	ब्लाक-43	3.01
21	ब्लाक-21	3.01	44	ब्लाक-44	47.04
22	ब्लाक-22	2.55	45	ब्लाक-45	8.12
23	ब्लाक-23	2.00		योग	337.44
				प्रतीक्षित	68.5 %

व्यक्तिगत					
1	निवास संपत्ति कीमत	40.42	2	सुधारणात्मक राशि में दर	1.28
पार्क एवं खुले स्थल					प्रतिशत 8.24%
1	पार्क-1	1.65	2	पार्क-2	3.01
3	पार्क-3	3.39	4	पार्क-4	1.88
5	पार्क-5	2.35	6	पार्क-6	5.76
7	गटर पार्क	6.96			
योग					26.00
प्रतिशत					5.17%
आंदोलिक सेत्र में गम्भीर अनुभूति हाँ न					91.10
प्रतिशत					18.9%

मानक अनुसार सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं की आवश्यकता का
आंकलन (जॉन-2)

(भवन निर्माण एवं विकास उपचिति 2000 के अनुसार)

क्रियाएँ	मानक	न्यूनतम क्षेत्र	आवश्यकताएँ	वर्तमान	प्रस्तावित
शैक्षणिक आवश्यकताएँ					
नसीरी/प्राइवेट स्कूल	प्रति 4000 जनसंख्या पर एक	0.05 हेक्टेर	137	122	15
हाईस्कूल	प्रति 10000 जनसंख्या पर एक	1.0 हेक्टेर	55	21	34
इंस्टरीडिएट कालेज	प्रति 10000 जनसंख्या पर एक	1.0 हेक्टेर	55	45	11
गृहविद्यालय	प्रति 80000 जनसंख्या पर एक		6	11	0
स्वास्थ्य सुविधाएँ आवश्यकताएँ					
हेल्प सेन्टर	प्रति 16000 जनसंख्या पर एक	0.06 हेक्टेर	34	72	0
सांगत्य अस्पताल	प्रति 100000 जनसंख्या पर एक	0.04 हेक्टेर	5	8	0
आज्ञायक एवं जन्मावास सुविधाएँ					
उप रामनारायण	प्रति 10000 जनसंख्या पर एक	100क्षेत्रफली	54	20	34
जनकावास एवं बीमेन फारमो-जा पुलिस थाना/चौकी	प्रति 100000 जनसंख्या पर एक	0.04 हेक्टेर	5	1	4
पुलिस चौकी	प्रति 20000 जनसंख्या पर एक	0.08 हेक्टेर	27	13	14
पुलिस थाना	प्रति 50000 जनसंख्या पर एक	0.04 हेक्टेर	10	2	8
अग्नि शमन केन्द्र	प्रति 5 विघ्नीयों के परिधि में एक	0.08 हेक्टेर	1	0	1
व्यवसायिक आवश्यकताएँ					
सुंचितागति शॉपिंग सेन्टर	प्रति 400 जनसंख्या पर एक	कुल क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत			प्राविधानित है
वैक्टर शॉपिंग सेन्टर	प्रति 200 जनसंख्या पर एक	कुल क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत			प्राविधानित है

(क्वाल टाउन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार)

क्रियाएँ	मानक	न्यूनतम क्षेत्र	आवश्यकताएँ	वर्तमान	प्रस्तावित
शैक्षणिक महल	प्रति 15000 जनसंख्या पर एक	0.08 हेक्टेर	36	27	9
सामुदायिक हाल/कार्यालय	प्रति 15000 जनसंख्या पर एक	0.08 हेक्टेर	36	25	11
सिंगल/मल्टीलोनस	प्रति 15000 जनसंख्या पर एक	0.08 हेक्टेर	22	13	9

3.4 कार्यालय

वर्तमान में इजनामत जोन के अन्तर्गत 34.67 हेक्टेयर भूमि कार्यालय उपयोग में लायी जा रही है। जबकि आगामी महायोजना में 41.48 हेक्टेयर भूमि कार्यालय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। जोनल प्लान में 46.56 हेक्टेयर भूमि कार्यालय हेतु प्रस्तावित की गई है।

3.5 सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं

3.5.1 शैक्षणिक

शासन द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपचिधि 2000 में दिये गये मानक के अनुसार प्रत्येक 4000 की जनसंख्या पर 1 नर्सरी स्कूल एवं एक प्राइमरी स्कूल, 10,000 की जनसंख्या पर 1 हाईस्कूल, 1 इंटर कालेज एवं अस्सी हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय का प्रावधान है जिसके अनुसार वर्ष 2021 तक 137 नर्सरी स्कूल, 137 प्राइमरी स्कूल, 55 हाईस्कूल एवं 55 इंटर कालेज तथा 6 महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में इस क्षेत्र में 11 महाविद्यालय विद्यालय हैं। अतः इस क्षेत्र में महाविद्यालय हेतु अलग में भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तावत जोन में वर्तमान में 122 प्राइमरी स्कूल 132 जूनियर हाईस्कूल, एवं 45 इंटर कालेज हैं। अतः वर्ष 2021 तक 20 अतिरिक्त प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल 34 हाईस्कूल एवं 10 इंटर कालेज की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार न्यूनतम 50.0 हेक्टेयर भूमि शैक्षिक सुविधाओं हेतु आरक्षित की जानी है जो कि 1 हेक्टेयर प्रति हाईस्कूल/इंटर कालेज, 0.3 हेक्टेयर प्रति प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल के मानक के अनुसार होनी है।

प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल की भूमि सेक्टर प्लान ले-आउट प्लान तैयार करते समय सामुदायिक सुविधाएं एवं आवासीय, उद्योग में आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है तथा 10 इंटर कॉलेज का प्रस्ताव महायोजना एवं जोनल प्लान में आरक्षित सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.5.2 स्वास्थ्य सेवाएं

भवन निर्माण एवं विकास उपचिधि 2000 के अनुसार प्रत्येक 16,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केन्द्र व 1 लाख की जनसंख्या पर एक सामान्य चिकित्सालय 100 से 200 शैक्षणिकों के साथ एनरिहारीज व कर्मचारियों और आवास सहित उपलब्ध ऊरागे जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार वर्ष 2021 तक 34 स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 सामान्य चिकित्सालय की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में इस जोन में 8 सामान्य चिकित्सालय विद्यालय हैं एवं 22 नर्सिंग होम स्नाइट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इस पहार यह जोन स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टि से अप्री आये गरिपूर्ण है। अतः इसके लिए जल्द से भूमि आरण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं पायी जाये फिर भी स्वास्थ्य केन्द्र महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

3.5.3 दूर रांचार सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं

भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि 2000 के मानक के अनुसार पर्येक 10,000 की जनसंख्या पर 1 उप डाकघर तथा प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 1 डाक तथा तारधर/टेलीफोन एक्सचेज को सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार 54 उप डाकघर एवं 5 डाक तथा तारधर, टेलीफोन एक्सचेज इस जोन में प्रस्तावित किये जाने हैं। वर्तमान में 20 उप डाकघर एवं 12 तारधर उपलब्ध हैं। अतः वर्ष 2021 तक 34 अतिरिक्त उप डाकघर एवं 4 अतिरिक्त डाक तथा तारधर/टेलीफोन एक्सचेज को आवश्यकता होगी जिसके लिए कुल क्षेत्रफल मानक के अनुसार प्रति उप डाकघर 100 वर्ग मीटर एवं प्रति तथा तारधर/टेलीफोन एक्सचेज हेतु 0.4 हेक्टेयर प्रस्तावित किया जाना है। उपडाकघर हेतु प्रावधान सेक्टर लैंडाउट तैयार करते रामय प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है तथा जोनल प्लान में अन्दरवर्ती डाकघर एवं टेलीफोन एक्सचेज प्रस्तावित किया गया है।

3.5.4 पुलिस स्टेशन/चौकी

भवन निर्माण एवं विकास उप निधि 2000 के मानक के अनुसार प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर कर्मचारियों के आवास सहित एक पुलिस स्टेशन तथा प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर कर्मचारी आवास सहित। पुलिस चौकी को सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार 10 पुलिस स्टेशन एवं 27 पुलिस चौकी आवश्यकता वर्ष 2021 तक होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र में 2 पुलिस स्टेशन व 13 पुलिस चौकी उपलब्ध हैं। अतः 8 अतिरिक्त पुलिस स्टेशन व 14 पुलिस चौकी की आवश्यकता होगी। जिसका कुल क्षेत्रफल मानक के अनुसार 8 हेक्टेयर प्रति पुलिस स्टेशन तथा 0.4 हेक्टेयर प्रति पुलिस चौकी के अनुसार प्राविधानित किया जाना है। जोनल प्लान के आवश्यकतानुसार पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी के प्रस्ताव दिये गये हैं तथा आवश्यकतानुसार पुलिस स्टेशन व चौकी का प्रस्ताव जोनिंग रेग्युलेशन के अनुसार अनुमन्य उपयोग में दिये जा सकेंगे।

3.5.5 अग्निशमन केन्द्र

भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि 2000 के मानक के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की परिधि पर न्यूनतम 0.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक अग्निशमन केन्द्र कर्मचारी आवास सहित का प्रावधान है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है तथा इस क्षेत्र को महत्ता को देखते हुए एक अग्नि शमन केन्द्र 0.4 हेक्टेयर भूमि पर इस प्रस्तावित किया जाना है जिसे कि जोनल प्लान में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.5.6. धार्मिक भवन

कवाल नगरों के लिए तैयार की गई विलिंग (भवन) उपचिह्न में दिये गये मानक के अनुसार प्रत्येक 15,000 व्यक्ति पर 0.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल का धार्मिक भवन प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार 36 धार्मिक भवन की आवश्यकता, वर्ष 2021 तक होगी, वर्तमान में 27 धार्मिक भवन, आश्रम व धर्मशाला के रूप में विद्यमान हैं। अतः 2021 तक 9 अतिरिक्त धार्मिक भवन को आवश्यकता होंगी। जिसके लिए 2.2 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित किया जाना है। जो कि जोनिंग ऐग्जेशन के अनुसार अनुमन्य भू-उपयोग परे प्रस्तावित किया जा सकेगा।

3.5.7 सामुदायिक हॉल/सेन्टर

कवाल नगरों के लिए तैयार की गई भवन उपचिह्न में दिये गये मानकों के अनुसार प्रत्येक 15,000 व्यक्ति पर एक न्यूनतम 0.8 क्षेत्रफल का सामुदायिक हॉल/सेन्टर प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार 36 सामुदायिक हॉल/सेन्टर की आवश्यकता वर्ष 2021 तक होगी, वर्तमान में 25 सामुदायिक हॉल, बारातघर/बैंकट हॉल के रूप में विद्यमान है। अतः वर्ष 2021 तक 11 अतिरिक्त सामुदायिक हॉल/सेन्टर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 0.3 हेक्टेयर प्रति सामुदायिक हॉल के मानक निर्धारित है। वहानुसार अतिरिक्त सामुदायिक हॉल/सेन्टर ऐसे उपयोग में अनुमन्य किये जा सकेंगे जो कि जोनिंग ऐग्जेशन अनुसार अनुमन्य है परन्तु भूमि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।

3.5.8 पुस्तकालय

वर्तमान में जोस लाइब्रेरी के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय इस जोन में स्थित है।


3.5.9 छविगृह/मल्टीप्लेक्स

वर्तमान में इस जोन में 11 छविगृह हैं जिन्हा एक मल्टीप्लेक्स बेडिंग भौल के नाम से तुलसी टॉकोज के पास निर्माणाधीन हैं। कवाल नगरों के लिए तैयार की गई भवन उपचिह्न में दिये गये मानक के अनुसार प्रत्येक 25,000 व्यक्ति पर एक छविगृह का प्रावधान है जिसके अनुसार 22 छविगृह की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मल्टीप्लेक्सों का प्रबलन देखते हुए 10 मल्टीप्लेक्स/छविगृह की आवश्यकता होगी। जिन्हे जिला व्यापारिक केन्द्र व सेक्टर व्यापारिक बन्द्र भू-उपयोग परे प्रस्तावित किया जा सकेगा।

3.6 मनोरंजन एवं खुले स्थल

आगामी पहाड़ोजना 2021 में 32.62 हेक्टेयर भूमि सेक्टर पार्क 124.0 हेक्टेयर भूमि दोत्रीय पार्क व 175.0 हेक्टेयर मनोरंजन पार्क के रूप में प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त हम क्षेत्र में लगभग 2573.76 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हैं। प्रामिकरण की ओर २०५५ तिथि १४.१२.२००५ को गढ़ संख्या २२ व नियम नं. १०१वा ५. क्षम में व्यापक जापानी


24 मी. चौड़ी मार्ग का टिप्पणीकाल डिजाइन



LEGEND

SEWER LINE	S.L.
TELEPHONE DUCT	T.C.
ELECTRICAL DUCT	E.D.

30.0 मी. चौड़े मार्ग का ट्रिप्पी कल कुजाइन



TYPICAL CROSS SECTION ON 30.0 METER ROAD

EXECUTION UN 30.
ALL DOCUMENTS ARE IN WH

LEGEND

SEWER LINE

TELEPHONE DUCT

ELECTRICAL DUCT

विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को ऐप्पिल ५, बंसल्हा २५/टी/सोएपो/००६ दिनांक २०.०१.०६ व २१/टी/टी.पे./२००६ दिनांक २२.०५.०६ के त्रुटम में ७.८०५४ हेक्टेयर भूमि अनीय पार्क व ६१.३७६८ हेक्टेयर भूमि पनोरंजन पार्क से आवासीय किये जाने हेतु प्रकरण शासन को अप्रत्यारित/सन्दर्भित किया गया है जिसे निः जोनल एलान में समायोजित करते हुए उनी ही अतिरिक्त भूमि क्षेत्रावधि पार्क व मनोरंजन पार्क हेतु प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्नगत जोन में पालीबाल पार्क एक प्रमुख खुले सेक्टर। पार्क के रूप में विभाग है तथा उपरोक्त के अतिरिक्त २५.८४ हेक्टेयर भूमि जोनल सेक्टर पार्क हेतु अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत जोन में पनोरंजन एवं खुले स्थल के रूप में वन भूमि बाग, हरित पट्टिका, निषिद्ध क्षेत्र, खेत गांव, बहीची को सम्मिलित करते हुए कुल ३१३६.९ हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र का ४३.०६ प्रतिशत है।

3.7 यातायात एवं परिवहन

उत्तरोक्त परिक्षेत्र में एम.बी.रोड व आगरा-मथुरा N.II-2 प्रमुख मार्ग है जिन पर अधिकांश प्रमुख क्रियाये केन्द्रित हैं। आगरा महायोजना 2021 के अनुसार ४९.९५ हेक्टेयर भूमि ट्रान्सपोर्ट नगर ५.१० हेक्टेयर भूमि बस अड्डा २६७.३९ हेक्टेयर भूमि महायोजना मार्ग व रेलवे सम्पर्क के रूप में प्रस्तावित है, नगर पे एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा पश्चिम मार्ग पर स्थित है एवं एक ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा रुक्तता के पास महायोजना में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर भूमि का अधिग्रहण किया जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है तथा इस क्षेत्र में आवश्यक सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने के उद्देश्य से अतिरिक्त जोनल एलान रोड प्रस्तावित किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप मार्ग के अन्तर्गत कुल ५४०.६९ हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

आगरा महायोजना 2021 के प्रस्तावों में यह भी उल्लेख है कि जोनल एलान बनाते समय पूर्व में सम्बन्धित क्षेत्र के प्रस्तावित जोनल मार्गों को यथा सम्भव बनाया रखा जाये। कई ऐसे जोनल मार्ग जो पूर्व महायोजनानुसार प्रस्तावित किये गये थे परन्तु वर्तमान में उनका विमर्श किया जाना सम्भव नहीं है को निरस्त किया गया है शेष मार्गों को जहाँ तक सम्भव हो सको को यथावत् सुरक्षित रखा गया है।

3.8 डैनेज एलान

आगरा विकास प्राधिकरण ने उप्र जल निगम लिमिटेड बल्ड बैंक यूनिट-१४/४, संजय एलान, आगरा द्वारा आगरा नगर के, लिए स्ट्राम बाटा डैनेज सिस्टम को महायोजना तैयार कराया गया जिसके प्रयुक्ति गुणाव निम्न है-

- 12 मोटर टक को चौड़ी सड़कों पर कोई फार्मल ढुन को आवश्यकता नहीं पायी गयी तथा ऐसी घटनों पर फार्म को निकासी सड़क वे द्वारा जो जाने वाले प्रस्ताव दिया गया तथा एलान का नाम द्वारा दिया गया एलान द्वारा आवश्यकता नहीं।

इस सम्बन्ध चे आपॉल फाल हुई तथा वह अचिक पाया गया कि 12 मी से कम चौड़े मार्ग पा भी फाल देन की व्यवस्था कराया जाय तथा कम से कम के सी देन की व्यवस्था तो हर मार्ग पे रखी जाये।

2. 13 मोटर से अधिक चौड़ी सड़क पर फार्मल ड्रैग्विंग प्रस्तावित किया जायेगा तथा पाइप देन साईब 1200 एम.एम. रखे जाने वा सुझाव दिया गया है तथा जहां तक हो सके रेक्टेन्युलर देन के माध्यम पर पाइप के माध्यम से देन का सुझाव दिया गया है।
3. सभी इंस छो राइट ऑफ वे पर जो भी अनाधिकृत निर्माण हुए हैं, को हटाया जाना होगा ताकि उनका होसिल्टिंग किया जाना सम्भव हो सके एवं मरम्मत का वर्ग किया जा सके।


3.9 रेन वाटर हार्डिंग

आगरा मे लालना वर्षा 611.8 एम.एम. है जबकि बढ़ते हुए मार्गों व भवनों की संख्या के कारण परमियेविल माइल को धीरे धीरे कमी होने के फलस्वरूप ग्राउनड वाटर का रिचार्ज नहीं होता जा रहा है। डपटोक्ट के अहिरिकल ग्राउन्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से एवं अन्यथा जल मे अति दोडन के कारण ग्राउन्ड वाटर मत्तर तेजों से जीवे मिल रहा है, परिणामस्वरूप शहरों को बढ़ती जावारों को समुचित जलापूर्ति करने मे भविष्य मे कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति मे ऐवजल के उपयोग एवं ग्राउन्ड वाटर के स्रोत के संरक्षण मे मितव्यता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग मे समुचित जल प्रबन्धन द्वाय संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य मे ऐवजल को भारी संकट हेतु उपयोग मे लाया जा सकता है। ऐसे मे प्राकृतिक डिप्रेशन्स जलाशय, तालाब या पोखर को रेन वाटर हार्डिंग हेतु उपयोग मे लाया जा सकता है।


इस ओर शासन द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा समुचित व्यवस्था हेतु प्राविधान करने के निर्देश दिये गये हैं जो कि निम्नवत् है :-

1. नगरीय क्षेत्र मे पड़ने वाले प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों अथवा पोखरों को चिह्नित कर संरक्षित किये जाये जिसपे किसी अन्य प्रकार का उपयोग अनुमन्य न किया जाये।
2. जहां तक हो सके ऐसे प्राकृतिक जलाशय एवं तालाब अथवा पोखरों के आस-पास को भूमि को गनोरंजन को दृष्टि से लिकसित किया जाये जिससे कि नगर को जलता को दोहरे लाभ प्राप्त हो सके।
3. 20 एकड़ से अधिक विभिन्न योजनाओं के ले आठट प्लान मे पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्दरगत कुल योजना रेव का लगभग 5 प्रतिशत भूमि जलाशय के रूप मे लिकसित किया जाये। ऐसे जलाशय का न्यूनतम ईत्रफल 1 एकड़ तथा गहराई 6 मीटर रहे जाने पर प्राविधान हो।

SCHEMATIC DIAGRAM OF RAINWATER HARVESTING




TYPICAL TRENCH TYPE RECHARGE SYSTEM



SOIL TRENCH RECHARGE SYSTEM


A SCHEMATIC PROPOSAL FOR A SHAFT TYPE RECHARGE STRUCTURE FOR RESIDENTIAL BUILDINGS



SCHEMATIC DIAGRAM

WELL TYPE RECHARGE SYSTEM

PROPOSED SCHEMATIC FRENCH WELL BORE



4. 20 एकड़ तक कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार जलाशय अथवा पार्क/ग्रीन बैल्ट के अनुसार निर्धारित पालक के अनुरूप एक कोने में रिचार्जिंग/रिचार्जटेक बनाया जाये।
5. नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र को जूलोजिकल/हाइड्रोजूलोजिकल सर्वेक्षण कराया जाये ताकि ग्राउन्ड वाटा रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त पद्धति को अपनाया जा सके।
6. पार्कों में पक्का दूरीमाण (पवेक पेवमेन्ट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाये तथा पुरापाथ व ट्रक्स यथासम्भव पर्मार्गेवल एवं सेपीपर्मार्गेवल पर्फोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाया जाए।
7. सड़कों/ पार्कों तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधे को प्रजातियों का चयन किया जाये जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो एवं जिससे वे ग्रीष्म छह में भी हरे भरे रह सकें।
8. जहाँ तक सम्भव हो सके चउंको वा किनारे ब्रिक औनरेज/लून स्टोन पेवमेन्ट का ग्राविधान किया जाये ताकि ग्राउन्ड वाटा को रिचार्जिंग हो सके।
9. 1000 वर्गयार्टर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के पूखण्डों एवं गुप्त हाड़सिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले चरसाती जल को परकोलेशन पिरस के माध्यम से ग्राउन्ड वाटा चार्जिंग के लिये अनिवार्य किया जाये। उपरोक्त व्यवस्था को पवित्र में निर्मित होने वाले शासकीय भवनों के लिये भी अनिवार्य किया जाये तथा पूर्व निर्मित शासकीय भवनों में रूप टॉप रेन हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाये।

3.10 सीबोर्ज ट्रीटमेन्ट

नगर में 21 कि.मी. ट्रक्स सीवर लाइन तथा 120 कि.मी. ब्रांच सीवर लाइन बिछो हुई है तथा नगर में तीन सोबोर्ज ट्रीटमेन्ट प्लाट पाध्युपुरा में तोरा की आबादी के पीछे स्थित है जहाँ पर सम्बन्धित जोन व उससे लगे हुए क्षेत्र के सीबोर्ज को एकत्रित करके शुद्धीकरण करते हुए यमुना में अथवा कृषि कार्य के उपयोग में लाया जाता है। प्रश्नगत क्षेत्र एक प्रमुख विकासशील क्षेत्र है। जहाँ पर उचित मात्रा में आवश्यक डिजायन को अनुरूप सीवर लाइन बिछाया जाना अनिवार्य है जिससे कि खुले जले के पाठ्यम से सीबोर्ज को बहाये जाने पर रोक लगायी जा सके।

प्रश्नगत जोन में अधिकांश एरिया विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है अथवा विकसित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस क्षेत्र में अन्य शहरों के बड़े-बड़े बिल्डरों भी अपनो योजनाये विकसित कर रहे हैं। अतः इस क्षेत्र के लिए निम्न सुझाव हैं :

- इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से सीवरेज नेटवर्क बिहारी जावे तत्त्व सीवरेज का उचित एकत्रीकरण व निस्तारण हो सके।
- क्षेत्र के नालों के ग्राम्य से वह रहे सीवरेज को धमुना में गिरने से पूर्व ट्रैप कर द्वीप करने के पश्चात धमुना नदी के डाउन स्ट्रीम पर गिराया जाय।
- विशेषज्ञों को गय के अनुसार डिविट सीवरेज नेटवर्क एवं आधुनिक सीवरेज होटेलेन्ट लाइंट पर्यावरण संलग्न में विकसित किया जावे जिसके लिए जोनल प्लान में एनेक्सीविलिटी रखे जाने के उद्देश्य से बोर्ड विश्वित स्थान निर्धारित नहीं किया जा रहा है तथा विशेषज्ञों को गय के अनुसार जो स्थान उपर्युक्त होगा उसमें ज्ञावे जाने का प्रावधान है।
- नगर के प्रमुख खुले बह रहे नाले के दोनों तरफ 3 मी. की गहराई तक भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.11 जलापूर्ति

वर्दमान में नगर में जलापूर्ति हेतु नगर को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है जो कि क्रमसः सूर्य नगर (जोन-1), लोहारमड़ी (जोन-2) तथा ताजगंज (जोन-3) है। इन तीनों प्रमुख जोनों को पुनः 26 छोटे जोन्स में बाटा गया है, जिसमें से 15 जोन्स विकसित हैं तथा शेष अविकसित हैं। नगर को जलापूर्ति के इक्षिकोण से विकसित व अविकसित क्षेत्र, वर्दमान में जलापूर्ति का नेटवर्क तथा ग्राउण्ड लेवल जलाशाय तथा ओवर हेड-ट्रैक की स्थिति मानचित्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये इनवाइरमेन्टल मेनेजमेन्ट प्लान के मानचित्र में दी गयी है।

आगस्त नगर में जलापूर्ति का एक स्रोत धमुना नदी है तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान आण्य द्वारा प्रस्तुत किये गये अकड़ो के अनुसार नगर में दो जलकल स्थापित हैं, जिनको क्षमता निम्नवत है :-

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. प्रथम जलकल जोवनी मण्डी | 25 एम.एल.डी. |
| 2. हितोब जलकल सिकन्दरा | 144 एम.एल.डी. |

दोनों जलकल संस्थानों से औसत रूप से 225 एम.एल.डी. जलापूर्ति को जा रही है। नगर निगम स्थीरा के अन्तर्गत अधिकारी मोहल्लों पर जलापूर्ति को सुविधा उपलब्ध है, फिर भी वाडों में जैसे सिकन्दरा-2, बोदला 2 व 3 शाहगंज, ताजगंज 2 व 3, रान्स धमुना 2 तथा घटवासन 2 के कुछ भागों में जलापूर्ति हेतु नेटवर्क नहीं है, जहाँ के निवासी द्यूवरेल व हैन्ड पाप्पों से पानी की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं।

नगर के लिए 11 जानल पांचाल स्टेशनों के ग्राम्य से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 225 एम.एल.डी. जल में मिलने वाले 200 एम.एल.डी. नगर के नामिनी व लियो तथा शेष 25 एम.एल.डी. जल, 25.3.101 एवं 25.3.102 तथा अन्दोभान क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। जलापूर्ति का रूप ये

विशेष जा रहे पानी का समाधान 40 प्रतिशत टान्सपोर्टन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के दोगुना नष्ट हो जाता है, इस प्रकार प्रस्ताव में शहरों जलापूर्ति के रूप में 120 एम.एल.डी. का वितरण होता है।

मानक अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर को जलापूर्ति होनी चाहिए। इस प्रत्यार नगरेय जनसंख्या हेतु 337.50 एम.एल.डी. जलापूर्ति को आवश्यकता होगी। जन के टान्सपोर्टन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30 प्रतिशत का वैस्टेज मात्रते हुए कुल 482.14 एम.एल.डी. जलापूर्ति को आवश्यकता उपलब्ध करायी जा सके।

महायोजना 2021 के प्रस्ताव में जलापूर्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से यमुना के अपस्ट्रीम पर चैरोन का प्रस्ताव दिया गया है तथा जलापूर्ति हेतु अन्य स्रोत ऐसे बाटर हार्डस्ट्रिंग अथवा यमुना किनारा क्षेत्र में रिचार्डिंग के वैकल्पिक ढोत के रूप में विकसित किये जाने का सुझाव किया है तथा पानी टान्सपोर्टन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के दोगुने पानी की वैस्टेज को कम करने के लिए पार्श्वों के रेट्रैक्ट में सुधार एवं लोकेज जंक लगे पार्श्वों को विनियोग कर बदले जाने का भुझाव दिया है।

उचित जलापूर्तिहेतु विशेषज्ञों को सब अनुसार आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था हेतु प्रतान तैयार कराया जाना उचित होगा जो कि जोनल प्लान में समायोजित किया जा सके।

3.12 विद्युत केन्द्र

नगर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत विशेषज्ञों द्वारा विद्युत महायोजना तैयार किये जाने को आवश्यकता है, जिससे कि न केवल प्रत्यनगत जोन बल्कि सभी जोनों को विद्युत आपूर्ति बिना किसी कठौंती के सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके। वैसे आगरा नगर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति (1880 एम.वी.ए.) तथा नगर द्वारा (180 एम.वी.ए.) व 80 एम.वी.ए. विद्युत आपूर्ति झेमशा: राजस्थान व ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करायी जा रही है फिर भी पर्याप्त टान्सपोर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के फलस्वरूप अक्सर पावल ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिस पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस ईंट्री में 220 के.वी.ए. का विद्युत स्टेशन तथा 33 के.वी.ए. के कई विद्युत सबस्टेशन हैं। आगरा नगर में उपर्युक्त टान्सफार्मेशन व टान्सप्रिंशन के लिए स्रोत एवं उसके पार्ग तथा विद्युत आपूर्ति सभी प्रस्ताव अलग से विशेषज्ञों एवं सम्बन्धित विभाग के सहयोग से नगर के लिये विद्युत महायोजना तैयार कराया जाना आवश्यक है जिससे कि उसे आगरा महायोजना 2021 में समायोजित किया जा सके।

3.13 दूसरे प्रमुख रेग्नेशन व प्रस्ताव

- प्रमुख पानी के दानों तरफ लाईन में वृक्ष लगाया जाना होगा।
- पानी के क्षेत्रों में व्यक्तिगत पालियों को संग्रहित करा दिया जाना उपर्युक्त भी प्रकार है। इसका उपयोग नदी वातावरण को पानीग्रन्थि ताने वाले गंगा और यमुना के लिये जायेगा।

विरिति किये जा रहे होने का लगभग 40 प्रतिशत दूरसंचेतन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान चट हो जाता है, इस प्रकार प्रस्ताव में आहरी जलापूर्ति के रूप में 120 एम.एल.डी. का वितरण होता है।

यानक अनुसार प्रति व्यक्ति 150 लीटर की जलापूर्ति होनी चाहिए। इस प्रतीक नगरीय जनसंख्या हेतु 337.50 एम.एल.डी. जलापूर्ति की आवश्यकता होगी। जल के दूरसंचेतन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30 प्रतिशत का वैस्टेज मानते हुए कुल 482.14 एम.एल.डी. जलापूर्ति की आवश्यकता उपलब्ध करायी जा सके।

महायोजना 2021 के प्रस्ताव में जलापूर्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से यमुना के अपस्थोप पर चैरज का प्रस्ताव दिया गया है तथा जलापूर्ति हेतु अन्य स्रोत ऐसे बाटर हार्डिंग अथवा यमुना किनारा क्षेत्र में रिचार्जिंग के वैकाल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किये जाने का सुझाव किया है तथा पानी दूरसंचेतन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पानी की वैस्टेज को कम करने के लिए पाइपों के नेटवर्क में सुधार एवं लीकेज जैसे तर्गे पाइपों को चिन्हित कर बदले जाने का सुझाव दिया है।

उचित जलापूर्ति हेतु विशेषज्ञों की एवं अनुसार अधिकारी जलापूर्ति व्यवस्था हेतु प्लान तैयार कराया जाना अचित होगा जो कि जोनल प्लान में समायोजित किया जा सके।

3.12 विद्युत केन्द्र

नगर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत विशेषज्ञों द्वारा विद्युत महायोजना तैयार किये जाने को आवश्यकता है, जिससे कि न केवल प्रश्नगत जांच बल्कि सभी जोनों की विद्युत आपूर्ति विना किसी कठौड़ी के सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके। वैसे आगरा कार पे आवश्यक विद्युत आपूर्ति (1880 एम.बी.ए.) वया नगर द्वारा (180 एम.बी.ए.) व 80 एम.बी.ए. विद्युत आपूर्ति क्रमशः राजस्थान व ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करायी जा रही है फिर भी पर्याप्त दूरसंचेतन इफ्कास्टर्कचर न होने के कारण अक्सर पावल ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिस पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में 220 के.बी.ए. का विद्युत स्टेशन तथा 33 के.बी.ए. के कई विद्युत सबस्टेशन हैं। आगरा नगर में उपर्युक्त दूरसंचेतन व दूरसंचितन के लिए सौल एवं उसके पार्श्व तथा विद्युत आपूर्ति सभी प्रस्ताव अलग से विशेषज्ञों एवं सम्बन्धित विभाग के सहयोग से नगर के लिये विद्युत महायोजना तैयार कराया जाना आवश्यक है जिससे कि उसे आगरा महायोजना 2021 में समायोजित किया जा सके।

3.13 अन्य प्रमुख रेगुलेशन व प्रस्ताव

- प्रमुख पानी के दोनों तरफ लाईन में वृक्ष लगाया जाना होगा।
- सभी साक्षर और असाक्षर पोखरों को गंगाधार तथा उपर्युक्त विभाग द्वारा नगरीय वातानुक्रम में रखांगे जिन में नहर भी गाँव भी होंगे।

- (ग) नगर के लिये तैयार इनेज मास्टर प्लान के तर्व पा विशेषज्ञों व सम्बन्धित निभागों से नगर हेतु डिजिटल, जलपूर्ति, सीवेज, सालिह चैलन आदि का प्रस्तावित भी अलग से तैयार किया जाय जिसे आगरा महायोजना 2021 एवं उसके अनुसार तैयार की जा रही परिक्षेत्रीय योजना में समावेशित किया जा सके।
- (घ) आजार स्ट्रीट भू-उपयोग में भूतल पर आगरा महायोजना 2021 में निर्धारित नोनिंग रेगुलेशन के अनुसार व्यवसायिक क्रियायें अनुमत्य होंगी, प्रथम नल पर अन्यान्य अनुमत्य होंगा एवं उनके ऊपरी तल पर आवासीय के अतिरिक्त अन्य कई क्रियायें अनुमत्य नहीं होंगी।
- (ङ) नाम कानफार्म पू-उपयोग के अन्तर्गत ऐसे भवन/विकास/तलपट मानचित्र जो पूर्व में स्वोकृत हैं एवं नियमानुसार खाँके पर बन हुए हैं वो जने रहने का अधिकूर रहेंगा परन्तु उनमें किसी भी प्रकार का विस्तार अनुमत्य नहीं होगा।

3.14 आवास नीति

आवास नीति के अन्तर्गत महायोजना एवं परिक्षेत्रीय योजनाओं में निम्न अपेक्षायें हैं:-

- रिहायशी एवं कार्य क्षेत्रों में फारस्टिक सामन्जस्य व रिलेशनशिप रखा जाय।
- पर्यावण को सुरक्षा एवं संरक्षण किया जाय।
- ग्रामीण आबादी को रिहायशी क्षेत्र के साथ इन्टीग्रेट किया जाय।
- अनाधिकृत एवं अविकसित कालोनियों में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाय।
- दुर्बल एवं अन्य आय वर्ग के रोजगार को व्यवस्था की जाय।
- आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाय।

तदनुसार परिक्षेत्रीय योजना, जोन-2 में निम्न प्रस्ताव किये गये हैं:-

- परिक्षेत्रीय योजना, जोन 2 में लियशी, कार्य क्षेत्र तथा परोरंजन रथल गे पारस्परिक सामन्जस्य व सम्बद्धता रखी गई है, जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण हो सके तथा ट्रैकल डिस्ट्रीब्यू व ट्रैकल टाइप में कटीती हो सके, जिससे कि यातायात एवं परिवहन पर अत्यधिक भार न हो। उक्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 7 संकटों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक संकट में व्यवसायिक क्रियायें व राष्ट्रीयिक उत्पोषिताएं एवं सेवाओं को आवासीय उपयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है।

- (ii) पर्यावरण की सुरक्षा एवं संतरण पर ध्यान दिया गया है, जिसके अन्तर्गत बन देंत्र, तालाब एवं पोखरी, नाला आदि को चिनित कर संरक्षित किया गया है तथा अतिरिक्त खुले स्थल अथवा पार्क प्रस्तावित किये गये हैं। इस क्षेत्र में 18 तालाब, पोखर व नलाशाय चिनित किये गये हैं एवं 45 नालों को सूची भी तैयार की गयी है तथा 3136.9 हेक्टेयर भूमि परोरजन एवं खुले स्थल हेतु आरक्षित की गई है, जिसमें 2573.76 हेक्टेयर भूमि बन देंत्र के रूप में आरक्षित है। इस दृक्कार सम्पूर्ण परिक्षेत्र का 43.06 प्रतिशत भूमि खुले स्थल, पार्क व बन के रूप में सुरक्षित की गई है।
- (iii) प्रस्तावित परिक्षेत्र में आने वाले ग्रामीण आबादियों को उचित सम्पर्क मार्गों से आपस में सम्बद्ध किया गया है, तथा प्रत्येक सेक्टर का विकास कार्य कराते समय उक्त आबादियों हेतु आधारभूत अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाये पुर्हेया कराये जाने की व्यवस्था को जायेगी।
- (iv) नार की अनाधिकृत एवं अविकसित कालोनियों में भी आधारभूत अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने एवं उन्हें उचित व्यवस्थानुसार नियमित किये जाने का सुझाव है। प्रश्नगत परिक्षेत्र में अधिकांशत कालोनियों विद्यमान हैं। प्राचिकरण द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 114 अनाधिकृत कालोनियों इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिनको शासन द्वारा जारी अनाधिकृत कालोनियों के नियमितोकरण सम्बन्धी गाइडलाइन्स को व्यवस्थानुसार नियमित कराया जाना होगा। प्रश्नगत परिक्षेत्र में आवास एवं विकास परिपद की महत्वकांक्षी कमलानगर योजना स्थित है।
- (v) दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग की आबादियों में शासन द्वारा जारी जोनिंग ऐलेशन्स के आधार पर भूतल पर सेवा एवं कुटीर उद्योगों को अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।
- (vi) जननल प्लान तैयार करते समय आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके अन्तर्गत टोटल स्टेशन द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य किया गया, मानचित्रों का डिजीटाइजेशन कराया जा रहा है तथा कम्प्यूटर के माध्यम से अधिकांश कार्य किये गये हैं।

3.15 हाई-टेक टाउनशिप नीति

आगरा कार में 2 हाई-टेक टाउनशिप अनुमोदित हैं, जिनमें से 01 टाउनशिप जोन-6 में तथा दूसरा जोन-3 में प्रस्तावित है। इस प्रकार जोन-2 में हाई-टेक टाउनशिप के विकास का प्रस्ताव नहीं है।

3.16 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

प्रधिकारण द्वारा जोन-5 में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु भूमि आरक्षित की गयी है। इस प्रकार इस परिक्षेत्रमें कोई भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु आरक्षित नहीं की है और न ही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा इस क्षेत्र में कोई अच्छुकता जाहिर की गयी है।

3.17 पर्यटन नीति

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किया गया। आगरा में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं तथा सिकन्दरा व परियम टोम्ब और स्थित होने के कलात्मक जोन-2 को विशेष महत्व है, जहां पर कार के एक पांच सितारा होटल व अन्य शैणी के होटल, उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट, लघु एवं कुटीर उद्योग से सम्बन्धित शो-रूम विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त कई आधुनिक व्यवसायिक माल निर्यातीयों हैं। अतः इस क्षेत्र को समुचित अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोनल फ्लान में प्रविधान किये गये हैं। प्रस्तावों में चौड़े पार्क व अधिक खुले स्थल प्रविधानित हैं।

आगरा पहाड़ोंना, 2021 तथा उसके अनुसार तेयार की गयी परिक्षेत्रीय योजना, जोन-2 में पर्यटन हेतु वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त पर्यटन से सम्बन्धित अन्य उपयोग, जैसे कि होटल, आदि व्यवसायिक भू-उपयोग में अनुमन्य हो सकेंगे। सिकन्दरा एवं परियम टोम्ब से लगे हुए क्षेत्र के सौन्दर्याकारण का प्रस्ताव है, जिससे कि पर्यटकों आकर्षित कर सकें।

3.18 फिल्म नीति

इस जोन में 11 छविगृह विद्यमान हैं एवं 2 मल्टीप्लेक्स निर्यातीयों हैं। फिल्म नीति के अन्तर्गत निर्मित एवं विद्यमान सिनेमा हालों को संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। नये छविगृह तथा मल्टीप्लेक्स हेतु भूमि परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकेंगे।

3.19 औद्योगिक एवं सेवा द्वारा निवेश नीति

प्रस्ताव द्वारा 337.44 हेक्टेयर भूमि प्रदायण गिरिज उद्योग हेतु प्रस्तावित है तथा 29.68 हेक्टेयर गृजि वर्ष 2020 से अडैडोगी का औद्योगिक द्वारा व्यापित है। औद्योगिक घर

सेवा धर्म मिशन नोंत, 2004 के इस पर शासनादेश संख्या-3352/9-30-3-04-12 निविध/2004, दिनांक 23.08.04 के अनुसार नागरीय उद्योग तरों के बाजारों को स्थापना हेतु 41.70 हेक्टेयर भूमि सेक्टर व्यवसायिक केन्द्र व सुविधाजनक शाफिंग सेन्टर के अन्तर्गत आरक्षित की गई है, जहां पर लघु तथा सेवा एवं कुटरी उद्योग को डिस्प्ले एवं विक्रय किया जा सकेगा तथा औद्योगिक उपयोग से सम्बन्धित अन्य व्यवसायिक क्रियाएँ विकसित हो सकेंगी। सूचना प्रौद्योगिकों हेतु भूमि महायोजना में जोन-5 के अन्तर्गत सुरक्षात वो पड़े, फिर भी ऐसे उद्योग हम धोर में औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य हो सकेंगे।

3.20 आपदा प्रबन्धन

- (i) देश में समय-समय पर आये भूकम्पों की चासदी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को जल-प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। आगरा 'सोसिमिक जोन-3' के अन्तर्गत से अतः भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालनोपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्टॉक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।
- (ii) अग्नि-सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवनों में भवन निर्माण को स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी भवन, जो पूर्व में बन चुके हैं, निर्माणाधोन हैं, मानचित्र स्वीकृत हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है परन्तु वर्तमान में अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराये जायेंगे।
- (iii) आगरा नगर के मध्य से यमुना नदी गुजरती है। इस क्षेत्र में यमुना नदी के सहारे अधिकांश: बन क्षेत्र व खुले क्षेत्र हैं तथा देहलबाग क्षेत्र के पास आने पर आबादी है, जहां पर बाढ़ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त क्षेत्र में बांध का प्रस्ताव किया गया है।

जौन-2 प्रस्तावित भू-उपयोग

		क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	आवासीय	2303.04 (31.62%)
1.1	ग्रामीण आवादी	98.16
1.2	मध्य घनत्व आवासीय	1846.97
1.3	चूरा घनत्व आवासीय	357.91
	कुल	2303.04 (31.62%)
2.	व्यवसायिक	227.40 (3.12%)
2.1	साजार स्ट्रीट	66.40
2.2	निला व्यापारिक केन्द्र	40.04
2.3	थोक-व्यापारिक केन्द्र	24.32
2.4	सुविधाजनक शॉपिंग केन्द्र	8.00
2.5	सैकेन्ट व्यापारिक केन्द्र	71.04
2.6	पटोल परा	2.72
2.7	जड़ि गृह	3.44
2.8	गोदाम	9.68
2.9	प्रेस	1.73
	कुल	227.40 (3.12%)
3.	कार्यालय	46.46 (0.6%)
4.	उद्योग	377.52 (5.18%)
4.1	उद्योग (प्रदूषण नहिं)	337.44
4.2	औद्योगिक क्षेत्र (यूपी.एस.आई.डी.सी.)	29.68
4.3	शोतगृह	10.40
	कुल	377.52 (5.18%)
5.	सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें	
5.1	विश्वविद्यालय	4.48
5.2	तिशिएट रास्थाये,	37.52
5.3	महाविद्यालय	13.44
5.4	इमर्सन बोलेज	38.08
5.5	प्रिमियम	4.32

	पर्सिंग हॉम	3.78
5.7	अस्पताल	2.08
5.8	बारात पर/वैक हॉल/अन्तर्राष्ट्रीय कानकेन्स हॉल	10.00
5.9	पुलिस स्टेशन	3.36
5.10	पुलिस चौकी	2.48
5.11	जलवाल रास्थान	22.46
5.12	सीधज ट्रीटमेंट प्लान्ट	4.08
5.13	हॉस्पिटल	26.24
5.14	पुस्तकालय	0.32
5.15	बिजलीघर	44.32
5.16	डाकघर	2.40
5.17	टेलीफोन एक्सचेन्ज	0.90
5.18	वार्षिक	21.26
5.19	सामुदायिक सुविधाय	103.52
	कुल -	345.08
		(4.74%)
6	पार्क एवं खुले स्थल	
6.1	लेट्रिंग पार्क	138.73
6.2	गनोरंजन पार्क	320.55
6.3	सेक्टर पार्क	48.18
6.4	वाटर पार्क	5.92
6.5	जोनल सेक्टर पार्क	25.84
6.6	ना	2.88
6.7	वन क्षेत्र	2573.76
6.8	हरित पटिका	13.94
6.9	वर्गीची	3.68
6.10	वन गोच	3.52
	कुल	3136.9
		(43.06%)

7. गांतायात एवं परिवहन

7.1	अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा	5.68	
7.2	गांतायात नगर	79.76	
7.3	वर्तमान मार्ग	374.76	
7.4	प्रस्तावित मार्ग	165.93	
7.5	रेलवे सम्पर्क	9.44	
7.6	रेलवे लाइन	46.68	
	कुल	682.25	(9.37%)

8. अन्य

8.1	जलाशय	5.53	
8.2	कृषिस्तान / शमशान घाट	6.96	
8.3	गौशाला	2.08	
8.4	ऐतिहासिक स्थल	64.64	
8.5	फार्म नाउरा	57.52	
8.6	नदी, नहर, नाला	1.28	
8.7	निविद सेत्र	28.82	
	कुल	166.83	(2.31%)
	सम्पूर्ण क्षेत्रफल	7225.46	(100%)

जोन-2 का सेक्टरवार वितरण

क्रमांक	भू-उपयोग / सेक्टर	1	2	3	4	5	6	7	योग
सं0									
1.	आवासीय								
	1.1 अधिक उपलब्धी	5.12	0	0	11.2	39.7	7.82	34.32	98.16
	1.2 मध्य घनत्व आवासीय	58.12	168.97	168.35	66.16	141.37	113.02	7.89	1846.97
	1.3 निम्न घनत्व आवासीय	0	0	0	58.84	124.03	0	175.04	357.91
	योग	586.32	168.97	168.35	136.2	305.1	120.84	217.25	2303.04
1.	व्यापारिक	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 बाजार स्ट्रीट	21.12	23.41	1.3	10.57	0	0	0	66.4
	2.2 जिला व्यापारिक केन्द्र	0	40.4	0	0	0	0	0	40.4
	2.3 शहरी व्यापारिक केन्द्र	0	0	0	0	13.3	11.02	0	24.32
	2.4 सुविधाजनक इंडस्पिग सेन्टर	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 सेक्टर व्यापारिक केन्द्र	0	15	3.3	12.12	16.02	24.6	0	71.04
	2.6 पेट्रोल पायप	0	0	2.72	0	0	0	0	2.72
	2.7 सिनेमा हाल	0	1.04	1.5	0	0	0	0	3.44
	2.8 गोदाम	1.53	2.3	0	0.64	0	5.21	0	9.68
	2.9 प्रेस	0	0.2	0	1.56	0	0	0	1.76
	योग	23.65	83.25	18.82	24.89	29.32	40.83	8	227.4
3.	कार्यालय								
	3.1 कार्यालय	0.08	4.08	32.30	10	0	0	0	46.46
	उद्योग								
	4.1 उद्योग (प्रदूषण रहित)	0	0	0	0	90.99	130.53	115.92	337.44
	4.2 भौतिकीय कार्य (प्रदूषण एकात्मक)	0	0	0	0	0	29.60	0	29.68
	4.3 बिन्दु	0	0	0	0	0	9.56	0.84	10.4
	योग	0	0	0	0	98.91	177.16	122.69	399.76

क्र०	प्र० एप्प्लीयॉर/ रेक्टर	१	२	३	४	५	६	७	गोग
रां०									
५.	सामुदायिक शुविदायें								
५.१	विश्वविद्यालय	०	४.४८	०	०	०	०	०	४.४८
५.२	विशिष्ट संस्थान	४.१९	०	२८.६३	४.०३	०	०.६७	०	३७.५२
५.३	महाविद्यालय	०	०	८.६२	०	४.५२	०	०	१३.४४
५.४	इन्टर कालेज	७.२८	४.७५	७.८१	६.५५	०	५.१७	१०.४४	४२.४
५.५	हाईस्कूल								
५.६	नर्सिंग होम	०	०.२६	१.८६	१.२	०	०.४६	०	३.७८
५.७	अस्पताल	०	०	०	०	०	२.०८	०	२.०८
५.८	बारात घर/ बैकट हॉल	३.२	२.२४	०	०	०	२.५६	०	१०
५.९	पुलिस थाना	०	०	०	१.६	०.८	०	०.३६	३.३६
५.१०	पुलिस थौकी	०	०	०	०	०.६४	१.८४	०	२.४८
५.११	जलकल संस्थान	०	१७.४४	०	०	५.०४	०	०	२२.४८
५.१२	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	०	०	०	४.०८	०	०	०	४.०८
५.१३	होस्टल	०	१.२	०	२५.०४	०	०	०	२६.२४
५.१४	पुस्तकालय	०	०.३२	०	०	०	०	०	०.३२
५.१५	विद्युत गृह	०	०	०	३०.५२	०	१३.६	०	४४.३२
५.१६	डाकघर/ ट्रूभार	०	०	०	१.४७	१.१४	०.६९	०	३.३
	टेलीफोन केन्द्र								
५.१७	धार्मिक	१.५८	०	०	१७.६१	०.३६	१.७३	०	२१.२८
५.१८	सामुदायिक शुविदायें	१२.८	०	०	१२.४	७८.३२	०	०	१०३.५२
	गोग	३१.०५	३०.६९	४७.२२	१०४.५	९०.१	२९	११.४	३४५.०८

									योग
		1	2	3	4	5	6	7	
5	5.0	मू-चपगोग / सेक्टर							
6	6.0	पार्क एवं खुले स्थल							
6	6.1	क्षेत्रीय पार्क	0	0	0	0	0	0	138.73
6	6.2	मनोरजन पार्क	0	0	0	0	0	0	320.55
6	6.3	सेक्टर पार्क	0	26.27	2.42	9.9	2.9	0	48.18
6	6.4	वाटर पार्क	0	0	0	0	0	0	5.92
6	6.5	जीनल सेक्टर पार्क	4.0	1.0	0	0	4.00	11.84	5.0
6	6.6	बाग	256	0	0	0.32	0	0	2573.7
6	6.7	वन्होट्र	0	0	0	345.56	1103.76	0	1123.44
6	6.8	हरित एटिंका	0	0	13.52	0	0	0.52	0
6	6.9	बगीची	0	0	0	3.68	0	0	0
6	6.10	खेल गांव	0	0	0	3.52	0	0	0
6	योग	5.52	27.11	15.94	363.98	1110.45	11.46	1602.44	3131
7	7.0	यातायात एवं परिवहन							
7	7.1	अन्तर्राष्ट्रीय बड़ा अड्डा	0	0	5.68	0	0	0	0
7	7.2	यातायातनगर	0	0	48.08	0	0	31.68	71
8	8.0	अन्य							
8	8.1	जलाशय	0.42	0.48	0.42	3.73	0.48	0	0
8	8.2	विविरतान / शमशानघाट	2.6	3.11	0	0.31	0	0.94	0
8	8.3	पौराण	2.08	0	0	0	0	0	0
8	8.4	ऐतिहासिक स्थल	0	0	0	61.76	0	2.88	0
8	8.5	फृगी हाउस	0.8	0	0	48.72	0	0	0
8	8.6	जलाल दरा	0	0	0	0	21.53	7.29	0

जोनिंग रेगुलेशन्स एवं भवन निर्माण उपचिकित्यां

परिचय

नगरीय विकास एवं पुनर्विकास को नियंत्रण करने हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स को एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह नगर को महायोजना एवं परिसेत्रीय योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वयन करने का कएक महत्वपूर्ण वैधानिक ढंग है। नगर योजना के उचित अधिनियम न होने के कारण उप्र. की कोई भी योजना तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने का कार्य उचित दिशा में नहीं हो पता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जोनिंग रेगुलेशन्स नगर को महायोजना एवं परिसेत्रीय विकास योजना को लागू करने हेतु तैयार किये जाते हैं, जिससे महायोजना और परिसेत्रीय योजनाओं पर प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के भू-उपयोगों को नियंत्रित एवं कार्यान्वयन किया जा सके। जोनिंग रेगुलेशन्स वर्तमान में उपलब्ध निर्माण उपचित्य के अतिरिक्त होगे, जिसके द्वारा सम्बन्धित विभाग भविष्य में होने वाले समरत विकासको विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार उचित दिशां निर्धारित कर सकते हैं।

जोनिंग रेगुलेशन्स द्वारा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की विकास की दिशा को निर्धारित किया जाता है। नकारात्मक इस प्रकार से है कि यह कुछ उपयोगों के विकास की अनुमति नहीं देते हैं जहां पर ऐसे उपयोग 'अनुपन्य' नहीं है एवं सकारात्मक इस रूप में है कि उन भू-उपयोगों को बढ़ावा देते हैं जहां कि वर्तमान में कोई विकास नहीं हुआ है। यह तथा भी उचित है कि जोनिंग रेगुलेशन्स के अभाव में परिसेत्रीय विकास योजना उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं को जा सकती है।

जोनिंग रेगुलेशन्स इसी उद्देश्य हेतु तैयार भिन्ने गये हैं कि परिसेत्रीय योजना में प्रत्येक उपयोग को स्थिति पूर्व में निर्धारित नहीं की जा सकती, वर्योकि एक प्रकार के भू-उपयोग में अनेक प्रकार को मुविधाएं अनुपन्य होती हैं तथा उसकी उचित स्थिति उस योजना के अन्तर्गत उस उपयोग हेतु विस्तृत तलपट प्राविधिक बनाते समय आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है।

पार्ट-1 जोनिंग रेगुलेशन

(अ) वर्तमान निर्मित/विकसित क्षेत्रों हेतु जोनिंग रेगुलेशन

1.1 परिभाषा

1.1 वर्तमान स्थिति क्षेत्र/विकसित क्षेत्र

परिक्षेत्रीय विकास योजना के मानचित्र में दर्शित/प्रदर्शित सभी प्रकार के ग्रामीण आबादी को वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा एवं निर्मित क्षेत्र का ही निर्माण उपविधि एवं जोनिंग रेगुलेशन स लागू होगा।

1.2 सक्षम प्राधिकारी

विकास क्षेत्र आगरा के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य आगरा विकास प्राधिकारण बोर्ड से है।

2.0 ग्रामीण आबादी/विकसित क्षेत्र हेतु जोनिंग रेगुलेशन

2.1 आवासीय

2.1 ग्रामीण आबादी

अनुमत्य उपयोग

एकल आवासीय फुटका दुकाने, बेकरी एवं कन्फेचरल्स, भौजनालय, 10 हार्ट पावर टक आदा चबूकरी, पीरोडों, हैल्मूलर मोबाइल गलियाँ, सेवा, नुट्रीर उद्योग, अनाधानय, सुधारलय, हैंडीकॉर्ट चिल्ड्रन हाउस, रियागृह एवं रेखभाले केन्द्र, निजी कार्यालय, एजेंट कार्यालय आदि, वृद्धावस्था रेखभाल केन्द्र, प्राथमिक रौकिक संस्था, डाकघर, तारधर, पुलिस चौकी/स्टेशन, पुस्तकालय, वाचनालय, रवास्थ केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी, हैल्थ क्लब, जिम्मेजिम्मेप, सिलाई-बुनाई, कढाई, पेट्रोल कंप्यूटर प्रोशेक्षण केन्द्र, योग, मन्न, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, ट्यूबवेल, ओवर हैड रिजर्व वायर, विद्युत केन्द्र, सब स्टेशन पार्किंग सेल्यूलर/मोबाइल रायर, चुहुदरेगोय खुले स्थल, बागवानी, पांभशाला, उद्यान, बन, बीटनोकल गार्डन।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत्य

12 मोटर मार्ग पर समूह आवासीय, साप्ताहिक बाजार, कोयला तथा लबड़ी का टाल, होटल चै-साइड ऐस्ट्रा (दाल्ला), भेजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेंट, अस्याई सिनेमा/सर्केस, पेत्ता स्थल, मो एन जो / पेटोल/दोबल फिलिंग स्टेशन, लघु उद्योग (प्रदूषण रहित), बैंक, राजनीतिक, अर्धराजनीतिक, अधिग्राहकोंय, अध्यात्मीय चिनाय, कार्यालय, उत्तिथिगृह, पर्मशाला, छात्रावास, उन्न यात्रायिक इमार कानूनज/पर्यावरणीय, अस्पताल, निर्मिंग होम, धार्मिक मन्न, मामुदायिक केन्द्र, सम्झूलिक कानूनालय, बैंकोफोर्म, गोविन्दिन गृहिणीय जीवनोपराय, निर्मिंग गैर, गोविन्द गैरज ए

वर्कशॉप, भवानीकरण पार्क व एंबोमिंग पुल, हेलोर्ड, सूअर/फत्ता, कुकुट, लुपत्तखी फलान, पशु सम्बद्धन व गजनन के उपकारण एवं मरम्मत वर्कशॉप।

2.1.2 मध्य एवं न्यून घनत्व आवासीय भू-उपयोग

अनुपन्न उपयोग

एकल आवासीय, समृद्ध अवासीय सम्बन्धित कर्मचारी संतरी आवास, पोस्टोओ/सेल्यूलर मोबाइल सर्पिंस, शिशु एवं शैल दिवाना रेखांगल केन्द्र, नुदावस्था देखभाल केन्द्र, भवात्थ केन्द्र परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी, हेल्थ क्लब/जिम्मेजियम धार्मिक भवन, दयूवर्वेल, ओवर हैंड लिवर बायर, विद्युत केन्द्र/शब स्टेशन, पार्किंग, पार्क व खुले स्थल, बागवानी, पौधराला, उद्यान, बन, वॉटरोकल गार्डन, प्राईमो/जूनियर हाई स्कूल, उप डाकघर।

संस्थ प्राधिकारी से अनुमन्य उपयोग

न्यूनतम 12 गोठर बौडे मार्ग पर फुटकर दुकान, बेकरी एवं कन्फैक्चरानी तथा 10 हार्टा फार, एक आटा चक्की, तोन स्टार होटल, भोजनालय, जलधान एवं रेस्टोरंट, धर्मशाला, रेनबसेट, छात्रावास, पुलिस स्टेशन/चौकी/आमिनामन केन्द्र, पुस्तकालय/बाचनालय, नर्सिंग हाप (बोस रॉप्याओ) अतिथि एवं निरोक्षण एवं सेल्यूलर मोबाइल टाका, सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं, क्लब/स्वीमिंग पुल, बहुउद्देशीय खु ले स्थल।

2.2 व्यवसायिक

2.2.1 विला व्यवसायिक केन्द्र

उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाये आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित जोनिंग रेखांगल के अनुसार क्रियाये अनुमन्य होंगी।

2.2.2 बाजार स्ट्रीट

उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुपन्न क्रियाये आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित जोनिंग रेखांगल के अनुसार क्रियाये अनुमन्य होंगी।

2.2.3 वोक व्यवसायिक केन्द्र

उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाये आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित जोनिंग रेखांगल के अनुसार क्रियाये अनुमन्य होंगी।

2.2.4 सुविधाजनक शार्टोपिंग सेन्टर

अनुमन्य उपयोग - रेलिक उपयोग की दुकानों औ संलग्न सूचा के अनुसार फुटकर दुकानें, बेकरी, बायरी/क्षमनी, उपडाकघर, विद्युत शब स्टेशन।

संस्थ प्राधिकारी हारा अनुमन्य उपयोग- ऊपरी तल पर कार्यालय, बैंक, पुस्तकालय।

2.2.5 ऐकाना न्यायालिक केन्द्र

अनुमन्य उपयोग- दैनिक उपयोग को दुकानों या गृहों के अन्सारा छुटका दुकाने, सौरजल, बैंकरी, 10 हार्ट पावर तक आदि चक्की, खोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, फूड पाल्स, सोसाइटी, एट्रील, डोजल फिलिंग स्टेशन, कार्यालय, बैंक, अंतिधिगृह, निरीक्षणगृह, उपडाकचर, पुस्तकालय, हैल्थ क्लब, मोटिंग हाल, प्रदर्शनी स्थल, विद्युत केन्द्र, दगूवेल, सेल्यूलर मोबाइल टावर, पार्किंग, पार्क, मल्टीस्लेक्स, होटल, शोरूप, मॉल/सिनेमा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य

ऊपरी तल पर आवासीय सेवा कुटीर उद्योग, प्राथमिक रौसिक संस्थाये, बाटा बक्स, पाइपलाइन एंड बैंक, सार्वजनिक सुविधाये एवं उपयोगिताये, बारात घर/वैकट हाल (न्यूनतम 18 मीटर चौड़े पारा पा), अस्पताल, नर्सिंगहास्पी।

2.2.6 गोदाम

अनुमन्य उपयोग

गोदाम/गैरि अधिकारी तथा भवडारण, संग्रह, केन्द्र, जाकयार्ड/कबाड़िखाना, केन्द्रीन, सम्बन्धित कंपनीओं चौकीदार/संतरी आवास, पार्किंग व स्टोडिंग अनलोडिंग सुविधाये।

2.2.7 छविगृह

अनुमन्य उपयोग - छविगृह मल्टीलैंबस, रेस्टोरेन्ट, केन्द्रीन, पार्किंग, मोरेंजन क्रियाये, पुस्तकालय, फूड ज्वाइटेस।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- विद्युत सब रेशन सिनेमा/मल्टीस्लेक्स के साथ होता।

2.2.8 प्रेस

अनुमन्य उपयोग - प्रेस व उनके अनुषंगिक उपयोग, कार्यालय, बैंक, केन्द्रीन, खोजनालय, मोटिंग/बान्फ्रेन्स हाल।

2.2.9 पेट्रोल पम्प

अनुमन्य उपयोग - पेट्रोल व डोजल फिलिंग स्टेशन, रेस्टोरेन्ट, फूड बालरी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- फुटका दुकाने वै-साइड रेस्टो, होटल, चीसोउंड/सेल्यूलर मोबाइल सर्विस।

2.3 कार्यालय

उपयोगकर्ता व् उपयोग के अन्वान्त अधिकार क्रियाये ब्राह्मण महाराष्ट्रा 2021 मे प्रस्तावित जारीगी रेग्युलेशन के अनुसार देय होगा।

2.4 उद्योग

2.4.1 उद्योग (प्रदूषण रहिव)

उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियायें आगरा पहाड़ोंजना 2021 में प्रस्तावित जोनिंग रेग्युलेशन में दिये गये अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार देख होगा। जोनल प्लान में औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित 5.17 प्रांतशत पार्क एवं खुले स्थल के अतिरिक्त शैप ब्लाक के लेआउट तैयार करते समय 5 प्रतिशत अतिरिक्त खुले स्थल प्रस्तावित करना होगा।

2.4.2 औद्योगिक क्षेत्र (यू.पी.एस.आई.डी.सी.)

औद्योगिक क्षेत्रयु.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार अनुमति देय होगी।

2.4.3 शौचालय

अनुमन्य उपयोग -शौचालय, बर्फ को फैक्ट्री, पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधायें, कैन्टोन।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- चौकोदार व संतरी आवास।

2.5 सामुदायिक सुविधायें उपयोगिता एवं सेवायें

2.5.1 विश्वविद्यालय - विशिष्ट संस्थायें / पहाड़ोंजालय

अनुमन्य उपयोग - विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनुधारित उपयोग जैसे कि कैन्टोन, होस्टल, लैबोरेटरीज, क्लासरूप, डिस्पेन्सरी, पुस्तकालय, चांचनालय, युक स्टोर, प्रयोगशालायें, खेलकूद के पैदान, पार्किंग, बहुउद्देशीय खुले स्थल, जिम्मेनियम, स्वीपिंग पूरा, हैल्म ब्लैब।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- बैंक, स्टाफ क्वार्टर, चौकोदार/संतरी आवास।

2.5.2 इण्टर/हाईस्कूल

अनुमन्य उपयोग - हाई स्कूल व इण्टर कॉलेज के अनुधारित उपयोग, कैन्टोन, युस्तकालय, वाचनालय, खेल के गैदान, कक्षा कमरे, स्टाफ रूप, प्रधानालार्य का कमरा, शौचालय, पार्किंग, प्रयोगशाला।

विशेष अनुभति से अनुमन्य - स्टाफ क्वार्टर, चौकोदार/संतरी आवास, स्कूल पुस्तके व शैक्षणिक सामान को दुकानें।

2.5.3 नर्सिंग होम/अस्पताल

अनुमन्य उपयोग - न्यूनतम् 100 शैय्याओं के साथ ए-सेलरोज उपयोग व कर्मचारियों के आवास मिहा चिकित्सालय नर्सिंग होम, कैन्टोन, पेडिकल स्टोर, पर्मशाला, रात्रि निवास एवं अनुधारित उपयोग, पार्किंग।

विशेष अनुभति से अनुमन्य - ग्रोवोजन स्टोर, बैंक, अर्टिशियर।

2.5.4 भारत चैम्बेकट हॉल

अनुमन्य उपयोग- न्यूला 50 प्रतिशत भूतल का थोक पार्किंग हेतु भरक्षित करते हुए भारत चैम्बेकट हाल एवं उनके अनुपांगिक उपयोग
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- बैंक एवं कार्यालय, फूड पार्टर।

2.5.5 पुलिस स्टेशन

अनुमन्य उपयोग - कर्मचारियों के आवास सहित पुलिस स्टेशन व उनके अनुपांगिक उपयोग।

2.5.6 पुलिस चौको

कर्मचारियों ने आवास सहित पुलिस चौको व उसके अनुपांगिक उपयोग।

2.5.7 जलकल संस्थान

अनुमन्य उपयोग - जलाधीर्त से सम्बन्धित समस्त अनुपांगिक उपयोग।

2.5.8 सोबोज टीटमेन्ट प्लान्ट

अनुमन्य उपयोग - सोबोज से सम्बन्धित समस्त आनुपांगिक उपयोग।

2.5.9 होस्टल

अनुमन्य उपयोग- होस्टल से सम्बन्धित समस्त आनुपांगिक उपयोग।

2.5.10 पुस्तकालय

अनुमन्य उपयोग - पुस्तकालय व उसके अनुपांगिक उपयोग कैन्टीन, रेस्टोरेंट, किंवा बो को बिल्डिंग को दुकानें, छापात्मक कार्यालय, बैंक पार्किंग।

विशेष अनुमति से अनुमन्य- अतिथियाँ।

2.5.11 अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हॉल

अनुमन्य उपयोग - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल के अनुपांगिक समस्त उपयोग उच्च स्तर के गेस्ट हाउस व रेस्टोरेंट, पोस्टोओ/सेलुलर मोबिल राइट, बैंक, पुस्तकालय, डिस्ट्रेसरी, हैल्थ क्लिंब, सांस्कृतिक केंद्र, ऑफिटेरियम/थेटर, प्रदर्शनी स्थल, विद्युत सब-स्टेशन।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग- भारत घर, राजकीय व निश्ची कार्यालय, रिसोर्ट।

2.5.12 विज्ञलीधार

अनुमन्य उपयोग - विज्ञली उत्पादन व सम्बन्धित समस्त अनुपांगिक उपयोग।

2.5.13 डाकघर/टेलीफोन प्रक्षसवेज

अनुमन्य उपयोग - डाक व लाइर, टेलीफोन एक्सचेज व इनके अनुपांगिक उपयोग;
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य - निजी कार्यालय, अतिथियाँ।

2.5.14 पार्मिक

अनुमन्य उपयोग - मन्दिर, भास्कर, गुरुद्वारा, गिरिजाघर, बृहदेश्वरा देखभाल केन्द्र, जलपानगृह,
धर्मशाला, ऐन चंडा, तोडिंग/बोर्डिंग हाउस, शिशुद्दह, आध्यात्मिक एवं पार्मिक प्रबन्धन केन्द्र।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य - परिवार कल्याण केन्द्र, सपाज कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी,
सामुदायिक केन्द्र, फुटकर दुकानें, सांस्कृतिक केन्द्र, कान्फेन्स/मीटिंग हल, प्रदर्शनी स्थल।

2.6 मनोरंजन एवं खुल स्थल

2.6.1 सेवीय पार्क/मनोरंजन पार्क व सेक्टर पार्क

अनुमन्य उपयोग - आगरा महायोजना 2021 के जोनिंग रेग्यूलेशन में प्राविधिक अनुमन्य क्रियाओं
के अनुसार देय होगा।

2.6.2 बोनल सेक्टर पार्क

अनुमन्य उपयोग - चौकोदार/संवर्ती आरवास पार्क, क्रीड़ा/बहुउद्देशीय खुले स्थल, मनोरंजन
पार्क, बागवानी, पौधशाला, वन, बोटोनोकल गार्डन।

विशेष अनुमति से अनुमन्य - भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेंट, कन्टीन, विशुल केन्द्र/ सब स्टेशन,
सेल्यूलर/पोवाइट टावर, हैल्प क्लब, स्वोमिंग पुल।

2.6.3 बाटर पार्क

अनुमन्य उपयोग - बाटर पार्क में सम्बन्धित मनोरंजनात्मक क्रियाये रेस्टोरेंट, बहुउद्देशीय खुले
स्थल व बाटर पार्क के आनुपांगिक उपयोग/पार्किंग।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य - सोविनियर शॉप्प, अनिधि भवन।

2.7 यातायात एवं परिवहन

2.7.1 अन्तर्राज्यीय बस अड्डा व यातायात नगर

अनुमन्य उपयोग - आगरा महायोजना 2021 में प्रस्तावित जोनिंग ऐलंशन द्वारा अनुमन्य क्रियाये के
अनुसार देय होगा।

2.7.2 यातायात भार्ग/प्रस्तावित भार्ग

अनुपाय उपयोग-भार्ग व रोड ग्राउंड गोटिंग व लिंग साक्षरता हाउस।

2.7.3 ऐनवे लाइन व रेलवे परिसर

अनुमन्य उपयोग - रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनानुसार।

2.7.4 ओवर हैंड ब्रिज

अनुमन्य उपयोग - ओवर हैंड ब्रिज व पैदल पथ।

2.8 अन्य

2.8.1 जलाशय/बांध

अनुमन्य उपयोग - महायोजना 2021 के प्रस्तावानुसार।

2.8.2 कबिस्तान/शामरान स्थल

अनुमन्य उपयोग - कबिस्तान व शामरान स्थल व उसके अनुषांगिक उपयोग।

2.8.3 गौशाला

अनुमन्य उपयोग - गौशाला एवं उसके अनुषांगिक उपयोग।

2.8.4 बाग/बगीची

अनुमन्य उपयोग - बागवानी, पौधशाला, बन, बोटोनीकल् गार्डन।

साधम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य - संतरी/बाकोदार के आवास।

2.8.5 बन क्षेत्र

अनुमन्य उपयोग - बन एवं बन विभाग द्वारा अनुमोदित बन से आनुषांगिक उपयोग ही अनुमन्य हो सकेगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्यात अनुमन्य नहीं होगा। मात्र वृक्षारोपण ही हो सकेगा।

2.8.6 निधिदं क्षेत्र

किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं हो सकेगा। मात्र वृक्षारोपण हो सकेगा।

2.8.7 फार्म हाउस

अनुमन्य - न्यूताप 5000 चार्ग्सो भूमि पर अधिकतम 50 प्रतिशत घृ-आच्छादन के साथ भवन निर्माण उपयोग के प्रावधान अनुसार फार्महाउस का निर्माण हो सकेगा तथा शंप भूमि पर अनियाय रूप से बाग बगीचा फार्मिंग आदि किया जाना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी पूछताएँ नहीं।

2.9.6 कृषि

सुभर/मत्स्य/कुकुर/पशुमक्खि वा पालन, जुलूस/विदेशी व्यापार, नोलापी बाजार, बेकरी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपन्य - थोकपण्डी/ थोक व्यापार, नोलापी बाजार, बेकरी एवं कन्फैक्चररो, आटा चक्की (10 हार्ट गनह तक) कोयला तथा लकड़ी की दाल, शौतगृह, रिसोर्ट, होटल एवं वे-साइड रेस्टोर, भोजनालय, जलपानगृह, केन्टॉन, पोस्टोओ/ रोल्यूलर मोबाइल सर्विस, सीएमओ/ पेट्रोल/ डोजल फिलिंग स्टेशन, गैस गोदान, गैस अधिक्षान, घण्डार, गोदाम, घेरा हाउस संग्रहण केन्द्र, जंकयार्ड/ कबाड़खाना, तेल डिपो/एलपीजी रिफलिंग प्लान्ट, घेरा हाउस संग्रहण केन्द्र, जंकयार्ड/ कबाड़खाना, तेल डिपो/एलपीजी रिफलिंग प्लान्ट, गाहनगढ़जिंग प्लान्ट/ दृष्टि संग्रह केन्द्र, नियुत उत्पादन संस्कर केन्द्र, पी.ए.पी./ पुलिस लाइन, गाहनगढ़जिंग प्लान्ट/ दृष्टि संग्रह केन्द्र, नियुत उत्पादन संस्कर केन्द्र, पी.ए.पी./ पुलिस लाइन, अतिथिगृह/ निरीक्षणगृह, अनाधारत्य, सुधारालय, कारागार, हैंडीफैट, नियुत हाउस, पद्धावरथा देवघार केन्द्र, उच्च माध्यमिक इण्टर/ पहाड़विद्यालय विश्वविद्यालय, पोलोटीविनक, इन्वोनियरिंग, देवघार केन्द्र, उच्च माध्यमिक इण्टर/ पहाड़विद्यालय विश्वविद्यालय, पोलोटीविनक, इन्वोनियरिंग, पैडोकल/डेन्टल कॉलेज, हाकधा, जाघर, पुलिस स्टेशन/ चौको, अनिशामन केन्द्र, विद्युत शब्दावह पैडोकल/डेन्टल कॉलेज, हाकधा, जाघर, पुलिस स्टेशन/ चौको, अनिशामन केन्द्र, विद्युत शब्दावह गृह, क्रिस्तान, शमशान, अजायबघर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कार्यालय, अनुसंधान एवं शोध गृह, क्रिस्तान, शमशान, अजायबघर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कार्यालय, अनुसंधान एवं शोध गृह, कार्कशाप, मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधायें, धर्मकोटा, गैराज/ वर्कशाप, मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधायें, धर्मकोटा, एवरपोर्ट, बहुउद्देशीय खुले स्थल, गोल्फ/ रेस कोर्स, स्टेडियम/ खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, पनोरेजन, पार्क, हैल्थ क्लब, स्वीमिंग पूल, चिड़ियाघर, जलवीयरात्मा, पक्षीशरण स्थल, प्लाईंग क्लब, हैलोथेड, सुटिंग रेञ्ज।

नौदि ३८

प्रथम प्राधिकारी द्वारा अनुभव्य उपरोक्त के अन्वयित प्रसाधित क्रियाये आगरा महायोजना 2021 के जरूरी रोक्षलेशन पे निहित इंट्रिक्ट शूल्क लेकर प्राधिकारण बोर्ड के अनुभोदन पर अनुभव्य होगा।

दैनिक उपयोग को दृष्टिकोण से

1. जनरल प्रैर्थनीजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग को वस्तुतः बथ्या दूध, चेड, मक्कलन, अण्डा आदि।
3. सब्जी एवं फल
4. फलों का जूम
5. मिर्चाई एवं पेय पद्धति
6. पानी, बोडी तथा मिगरेट
7. पेंडिकल स्टोर/कलोनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स आदि
10. किनारे/ मैर्जान/ अखबार आदि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन छुट, लोनमोबाइल
13. रेडोफेड गारमन्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर इंसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी परामर्श
19. काढ़ाई-बुनाई एवं पेन्चिंग
20. केबिल टीवी संचालन, बीडियो पार्लर
21. फ़ायर शॉप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंकचर को दुकाने
25. कपड़े स्त्री कपड़ा
26. समाहित दैनिक उपयोगिताओं को अन्य दुकाने

दी. सी. लाखा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासनः

रोमा गौ.

उपर्युक्त
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

आगरा एवं शहरी नियोजन अनुग्रह-3

तिथि आगरा महायोजना-2021 के अतर्गत तयार किये गये जोन-2 एवं जोन-6 के जोनल डेवलपमेंट फ्लान की स्वीकृति के संबंध में।

भवदीय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 33/डी/सीएपी/06, दिनांक 17.08.06 एवं नम. संख्या 35/डी/सीएपी/06, दिनांक 17.08.06 का कृपया संदर्भ प्रहण करें।

2— इस चर्चे ने नुस्खे एह कहने का निर्देश हुआ है कि उपायक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा प्रस्तावित आगरा जोनल डेवलपमेंट फ्लान (प्रारूप) जोन-2 एवं 6 के उपस्थान पर तय नगर घटना और विकास अधिनियम, 1973 की वारा-10(2) के अंतर्गत शासन हारा उभ्यक विधारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— कृपया उपर्युक्त जोनल डेवलपमेंट फ्लान-2 एवं 6 को शासन हारा अनुमोदित किये जाने की चूकनी किन्हीं दो बहुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें; सूचना में दह रथान भी इनित किया जाय, जहाँ पर सर्वसाधारण दृश्य सुझाव सुगमतापूर्वक भिन्नेभिन्न किया जा सके। प्रश्नगत जोनल फ्लान समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रगाढ़ी होगी। कृपया समाचार पत्रों ने स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को उदलेद्य कराने का कष्ट करें।

4— प्रश्नगत जोनल डेवलपमेंट फ्लान, जोन-2 एवं 6 की पुनरीक्षित प्रतिवेदन, नामांकन, अप्रतिक्रिया एवं सुझाव की एक-एक अनुमोदित प्रति नियमानुसार आवश्यक वर्द्धयाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक-कुल 06 नग।

राखा एवं दिनांक तदैद।

प्रातांतर मुख्य नगर पर ग्राम नियमित उप लखनऊ का आगरा जोनल डेवलपमेंट फ्लान जोन-2 एवं 6 को एक-एक अनुमोदित प्रति सहित नियमानुसार आवश्यक घोषयाही हेतु भेजित।

आज्ञा से

(यू. पी. सिंह)

प्रिवेप सचिव

समाचार पत्र
 'दैनिक जागरण'
 दिनांक 7 जनवरी 2007 (पृष्ठ सं. 11 पर)



समाचार पत्र
 'आज'
 दिनांक 7 जनवरी 2007 (पृष्ठ सं. 2 पर)

